ADITYA BIRLA
GRASIM

दिनांक19.12.2023

सेवा में,
श्रीमान् प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,
रेनुकूट, सोनभद्र, उ0प्र0

विषयः- जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज के अन्तर्गत कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्ड्रस्ट्रीज लि0, रेनुकूट, सोनभद्र को पम्प हाउस पाईप लाईन एंव ओवर हेड ट्रांसमिशन लाईन हेतु लीज पर हस्तानांतरित 3.79 हे0 वन भूमि को पूर्व में आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 तथा वर्त्तमान में ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी उपयोग करने हेतु 25वर्षो के (दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2038 तक) लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या - LP/UP/ Others/19811/2016)।

संदर्भ :- 1- उप सचिव उ0प्र0 शासक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ का पत्र संख्या - 589/81-2-2023-800(67)/2012 दिनांक 12.09.2023

2- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परविर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक संख्या 603/11-सी- FP/UP/ Others/19811/2016 लखनऊ दिनांक 12.09.2023

3- आपका पत्रांक संख्या 942 रेनुकूट/15-37 दिनांक 14.09.2023 तथा पत्र संख्या 1851/रेनुकूट/15-37 दिनांक 28.11.2023 एवं पत्रांक संख्या 1917 रेनुकूट/15-37 दिनांक 04.12.2023

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग रेनुकूट सोनभद्र
फाइल सं० ......
प० सं० ......
दि० ......

Grasim Industries Limited
Chemical Division Renukoot
P.O.: Renukoot - 231 217,
Distt.: Sonebhadra (U.P.) India

Telephone +91-5446-252044/55/75
Fax +91-5446-252088

Website www.grasim.com
E-mail grasim.renukoot@adityabirla.com
CIN L17124MP1947PLC000410
PAN AACG4464B

Regd. Office - Birlagram, Nagda - 456331, M.P., India

ADITYA BIRLA

GRASIM

4- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 12.09.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत।

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्रों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विधि सम्मत प्रस्ताव प्रभाग में उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक अभिलेखों सहित आख्या प्रभाग में उपलब्ध कराया जा रहा है जिसके आधार पर आख्या निम्नानुसार अवलोकनार्थ प्रेषित है:-

1- कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट, सोनभद्र को उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1252/14-बी-503/61 दिनांक 25.04.1964 द्वारा 3.79 हे0 वन भूमि पम्प हाउस पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु 25 वर्षो के लीज पर दिनांक 01.04.1963 से 31.03.1988 तक हस्तानातरित की गई। उ0प्र0 सरकार का उक्त आदेश दिनांक 25.04.1964 की छायाप्रति संलग्न है। **सलग्नक-1**

2- उक्त लीज की अवधि समाप्त होने के उपरांत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) अलीगंज, लखनऊ के पत्र संख्या-8बी/324/92/एफ0सी0/407 दिनांक 23.05.1995 द्वारा शर्तो के अधीन तथा अनु सचिव, उतर प्रदेश शासन वन अनुभाग-2 लखनऊ के आदेश संख्या जी0आई0 159/14-02-95-503/1961 लखनऊ दिनांक 16.01.1996 द्वारा विभिन्न शर्तो के अधीन 25वर्षो हेतु दिनांक 01.04.1988 से 31.03.2013 तक के लिये नवीकरण किया गया। भारत सरकार का पत्र दिनांक 03.05.1995 एवं उ0प्र0 सरकार का आदेश दिनांक 16.01.1996 की छायाप्रति संलग्न है। **संलग्नक 2 व 3।**

Grasim Industries Limited
Chemical Division Renukoot
P.O.: Renukoot - 231 217,
Distt.: Sonebhadra (U.P.) India

Telephone +91-5446-252044/55/75
Fax +91-5446-252088

Website www.grasim.com
E-mail grasim.renukoot@adityabirla.com
CIN L17124MP1947PLC000410
PAN AAACG4464B

ADITYA BIRLA

GRASIM

3- दिनांक 16.04.2011 को कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्ड्रस्ट्रीज लि०, रेनुकूट एवं आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि०, रेनुकूट के मध्य विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्ड्रस्ट्रीज लि० रेनुकूट से सम्बन्धित समस्त सम्पति आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि०, रेनुकूट को चालू हालत में इसी प्रयोजन हेतु दे दिया जाये। उक्त निर्णय दिनांक 16.04.2011 की छायाप्रति संलग्न है। **संलग्नक -4**

4- आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि०, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत 3.79हे० वन भूमि का समान प्रयोजन हेतु उपयोग करते हुए प्रबन्ध निदेशक आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि०, रेनुकूट ने अपने पत्र संख्या 1500/सी०आई०एल०/40 दिनांक 30.03.2012 द्वारा वन भूमि हस्तानान्तरण सम्बन्धी नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी/उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या 2301/11-सी-991 दिनांक 09.05.2012 द्वारा प्रमुख सचिव (वन) उ०प्र० शासन, वन अनुभाग-2 लखनऊ को प्रेषित किया गया।

संस्थान का उक्त पत्र दिनांक 30.03.2012 व नोडल अधिकारी का उक्त पत्र दिनांक 09.05.2012 की छाया प्रति संलग्न है। **संलग्नक 5 व 6**

5- उक्त नवीनीकरण प्रस्ताव के विचाराधीन रहते हुए आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि० रेनुकूट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के समक्ष कम्पनी पेटिशन संख्या-5/2015 व 6/2015 तथा माननीय उच्च न्यायालय म०प्र०(इंदौर बेंच) के समक्ष 13/2015 (Amalgamation of Aditya Birla Chemicals (India) Limited with Grasim Industries Limited) दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, राँची द्वारा दिनांक 24.11.2015 तथा उच्च न्यायालय म०प्र०(इंदौर बेंच) द्वारा दिनांक 09.10.2015 को Amalgamation सम्बन्धी आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशों के

Grasim Industries Limited
Chemical Division Renukoot
P.O.: Renukoot - 231 217,
Distt.: Sonebhadra (U.P.) India

Telephone +91-5446-252044/55/75
Fax +91-5446-252088

Website www.grasim.com
E-mail grasim.renukoot@adityabirla.com
CIN L17124MP1947PLC000410
PAN AAACG4464B

Regd. Office - Birlagram, Nagda - 456331, M.P., India

ADITYA BIRLA
GRASIM

अनुपालन में प्रश्नगत 3.79 हे0 वन भूमि का उपयोग समान प्रयोजन हेतु ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि0, रेणुकूट द्वारा किया जाने लगा।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2015 व 09.10.2015 की छायाप्रति संलग्न है। **संलग्नक 7 व 8**

6- ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि0, रेणुकूट द्वारा प्रश्नगत वन भूमि 3.79हे0 का उपयोग समान प्रयोजन हेतु करते हुए नवीन प्रक्रिया के तहत भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Others/19811/2016 अपलोड किया गया। उक्त प्रस्ताव में प्रभावित 3.79 हे0 वन भूमि के नवीनीकरण प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2021 को बैठक आहूत की गई। उक्त आहूत बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 03.02.2021 के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 की (गाईड लाईन एवं क्लीरिफिकेशन) के चैप्टर - 5 के प्रस्तर 5.2 एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के अनुसार प्रकरण का परीक्षण कर Ex-Post-Facto के अन्तर्गत प्रस्ताव उचित माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया।

उक्त कार्यवृत्त दिनांक 03.02.2021 की छायाप्रति संलग्न है। **संलग्नक-9**

7- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी उक्त कार्यवृत दिनांक 03.02.2021 के क्रम में ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि0, रेणुकूट द्वारा 3.79हे0 वन भूमि का ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या **FP/UP/Others/19811/2016 Ex-Post-Facto** के अन्तर्गत अपने पत्र दिनांक 18.04.2022 द्वारा प्रभागीय वन अधिकारियों को उपलब्ध करवाया गया।

Grasim Industries Limited
Chemical Division Renukoot
P.O.: Renukoot - 231 217,
Distt.: Sonebhadra (U.P.) India

Telephone +91-5446-252044/55/75
Fax +91-5446-252088

Website www.grasim.com
E-mail grasim.renukoot@adityabirla.com
CIN L17124MP1947PLC000410
PAN AAACG4464B

Regd. Office - Birlagram, Nagda - 456331, M.P., India

ADITYA BIRLA
GRASIM

उक्त प्रस्ताव दिनांक 04.06.2022 को प्रभागीय एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 399/11-सी-FP/UP/Others/19811/2016 लखनऊ दिनांक 29.07.2022 द्वारा अपर मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्रेषित किया गया।

प्रभाग का उक्त पत्र दिनांक 04.06.2022 व नोडल अधिकारी का पत्र दिनांक 29.07.2022 की छायाप्रति संलग्न है। **संलग्नक 10 व 11**

8- यह कि उप सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्र संख्या 569/81-02-2023-800(67) /2012 दिनांक 12.09.2023 के पैरा - 5 में न्याय विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 16.01.1996 की शर्त संख्या 1 व 9 के उल्लघंन को प्रासंगिक माना गया है, जिसके सम्बन्ध में संस्थान द्वारा निम्न तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

उप सचिव, उ0प्र0 शासन, के पत्र दिनांक 12.09.2023	न्याय विभाग का मत	संस्थान का स्पष्टीकरण

Grasim Industries Limited
Chemical Division Renukoot
P.O.: Renukoot - 231 217,
Distt.: Sonebhadra (U.P.) India

Telephone +91-5446-252044/55/75
Fax +91-5446-252088

Website www.grasim.com
E-mail grasim.renukoot@adityabirla.com
CIN L17124MP1947PLC000410
PAN AAACG4464B

Regd. Office - Birlagram, Nagda - 456331, M.P., India

ADITYA BIRLA
GRASIM

के प्रस्तर – 5 के संदर्भ में ।		
प्रस्तर – 5ग	भारत सरकार के स्वीकृति आदेश दिनांक 23.05.1995 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 16.01.1996 के **शर्त संख्या** 1 के अनुसार कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० को हस्तानान्तरित करने का अधिकार नही है। अतः कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० की (यूनिट) का अदित्य बिरला केमिकल्स (इण्डिया) लि० के पक्ष में "As - is- where- is basis" पर हस्तानान्तरण में विचाराधीन 3.79हे० वन भूमि विधित सम्मिलित नही माना जा सकता।	1. यह विनम्रतापूर्वक दोहराया तथा स्पषट किया जाता है कि किसी भी समय यह घोषणा नही की गयी है कि मूल उपयोगकर्ता एजेंसी कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० ने नई उपयोगकर्ता एजेंसी आदित्य बिरला केमिकल्स (इण्डिया) लि० (ए०बी०सी०आई०एल०) को 3.79हे० वन भूमि हस्तानान्तरित की है और न ही नई उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा इसका दावा किया गया है कि कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट के संयत्र हस्तानांतरण में 3.79हे० वन भूमि का हस्तानांतरण भी शामिल था। 2. वास्तविकता यह है कि कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० तथा आदित्य बिरला केमिकल्स (इण्डिया) लि० दोनों कमप्नी ने दिनांक 16.04.2021 के बोर्ड प्रस्ताव के अनुशरण में कारखाने

Grasim Industries Limited
Chemical Division Renukoot
P.O.: Renukoot - 231 217,
Distt.: Sonebhadra (U.P.) India

Telephone +91-5446-252044/55/75
Fax +91-5446-252088

Website www.grasim.com
E-mail grasim.renukoot@adityabirla.com
CIN L17124MP1947PLC000410
PAN AAACG4464B

Regd. Office - Birlagram, Nagda - 456331, M.P., India

ADITYA BIRLA
GRASIM

		को दिनांक 24.05.2011 को आदित्य बिरला केमिकल्स (इण्डिया) लि० द्वारा अधिग्रहित किया गया एवं फैक्ट्री लाईसेंस भी आदित्य बिरला केमिकल्स (इण्डिया) लि० को हस्तगत कर दिया गया। 3. वनभूमि 3.79 हे० जिसपर कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० की जल सुविधा प्रणाली थी के हस्तानांतरण का प्रस्ताव प्रस्तावित नई प्रयोक्ता एजेंसी आदित्य बिरला केमिकल्स (इण्डिया) लि० द्वारा दिनांक 11.05.2011 को वन विभाग को भेजा गया था। मूल आयोग कर्ता एजेंसी से हस्तानांतरण के लिये एन०ओ०सी० के साथ पट्टे में लगाई गयी समस्त शर्तों का पालन करने का वचन भी दिया गया। सुसंगत दस्तावेज संलग्न है। **संलग्नक-12** 4. प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने दिनांक 12.05.2011 के

Grasim Industries Limited
Chemical Division Renukoot
P.O.: Renukoot - 231 217,
Distt.: Sonebhadra (U.P.) India

Telephone +91-5446-252044/55/75
Fax +91-5446-252068

Website www.grasim.com
E-mail grasim.renukoot@adityabirla.com
CIN L17124MP1947PLC000410
PAN AAACG4464B

Regd. Office - Birlagram, Nagda - 456331, M.P., India

ADITYA BIRLA
GRASIM

		पत्र के माध्यम से नई प्रयोक्ता एजेंसी को सूचित किया कि उक्त वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होंगे, तद्नुसार केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव तैयार करें। तदनुसार, एबीसीआईएल ने 30.03.2012 को उसी प्रयोजन के लिए 3.79 हे0 वन भूमि पट्टे के नवीकरण की अनुममि प्राप्त करने के लिए नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके लिए इसे मूल प्रयोक्ता एजेंसी केसीआईएल को पट्टे पर दिया गया था। डी0एफ0ओ0 रेनुकूट ने दिनांक 31.03.2012 के पत्र के माध्यम से सी0सी0एफ0–मिर्जापुर ने दिनांक 09.04.2012 के पत्र द्वारा और नोडल अधिकारी दिनांक 09.05.2012 के पत्र द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ एबीसीआईएल के पक्ष में 3.79हे0 वन भूमि के नवीकरण का प्रस्ताव मुख्य सचिव वन

ADITYA BIRLA
GRASIM

		उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किया। **<u>Chapter-2 of Handbook on F.C. Act, Guidelines & Clarification-2004 & Chapter-5 of Handbook of Guidelines-2019 for effective and transparent implementation of the provisions of Forest Conservation Act, 1980, provides for transfer of lease for same purpose by another agency.</u>** **<u>पट्टे का हस्तांतरण</u>** जहाँ वन भूमि पर पट्टे का अंतरण एक प्रयोक्ता एजेंसी से दूसरे प्रयोक्ता एजेंसी को उसी प्रयोजन के लिए जिस प्रयोजन के लिए वन भूमि को विपथित किया गया था, आवश्यक हो जाता है केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार और मूल उपयोगकर्ता एजेंसी को ऐसे हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। नई प्रयोक्ता एजेंसी को एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे उन सभी शर्तों का पालन करेंगे जिन पर मूल उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि

ADITYA BIRLA
GRASIM

		पट्टे पर दी गई थी और भविष्य में केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य शर्त है। उपरोक्त दस्तावेज की छायाप्रति **संलग्नक -13** है। यहाँ यह उल्लेख करना है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा शर्त सं0-1 में अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा किया जा रहा है। प्रश्नगत 3.79हे0 वन भूमि का का ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट के पक्ष में नियमतिकरण (Regularization) हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं0-11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में पैनल एन0पी0वी0 05(पाँच) गुना का आंकलन करते हुए आकलन प्रमाण पत्र / वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सत्यापित कर ऑन लाईन प्रस्ताव सं0- **FP/UP/Others/19811/2016** में

Grasim Industries Limited
Chemical Division Renukoot
P.O.: Renukoot - 231 217,
Distt.: Sonebhadra (U.P.) India

Telephone +91-5446-252044/55/75
Fax +91-5446-252088

Website www.grasim.com
E-mail grasim.renukoot@adityabirla.com
CIN L17124MP1947PLC000410
PAN AAACG4464B

ADITYA BIRLA
GRASIM

		अपलोड कराते हुए उच्च स्तर के माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जा चुकी है।
प्रस्तर – 5क	भारत सरकार के स्वीकृति आदेश 23.05.1995 के क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 16.01.1996 की शर्त संख्या–9 के अनुसार कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 के पक्ष में प्रश्नगत पट्टा के नवीनीकरण हेतु रिन्यूवल लीज डीड का निष्पादन नही किया गया है, जो शासनादेश दिनांक 16.01.1996 के शर्त–9 के अनुसार किया जाना आवश्यक था।	शर्त संख्या 9: वन भूमि हस्तान्तारण के पूर्व भूमि का मूल्य वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी सोनभद्र से निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम तथा प्रीमियम का 10% लीज रेंट वन विभाग द्वारा वसूल कर लिया जाएगा 1. दिनांक 16.01.1996 के सरकारी आदेश की शर्तों के खंड 9 के अनुसार मूल प्रयोक्ता एजेंसी कनोरिया केमिकल्स लि0 ने 2010–2011 तक सभी किराये की बकाया राशि जमा कर दी थी और उसके बाद नई प्रयोक्ता एजेंसी ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि0 समय–समय पर डीएफओ रेनुकूट द्वारा उठाई गई माँग के अनुसार उक्त 3.79 हे0 वन भूमि के लिए भूमि प्रीमियम के भुगतान के अलावा लीज रेंटल को लगातार जमा कर रही है। 2. नई उपयोगकर्ता एजेंसी ने 2.02 करोड़ रूपये का बीजी

ADITYA BIRLA

GRASIM

		प्रदान करने के अलावा, अब तक इस 3.79हे0 वन भूमि पट्टे को अपने नाम पर नियमित करने के लिए 1.99 करोड़ रूपये जमा किए है। सुसंगत दस्तावेज की छायाप्रति **संलग्नक-14** है। 3. उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 16.01.1996 की अधिसूचना सं0 जीआई - 159/14-2-95-503/1961 के तहत मूल प्रयोक्ता एजेंसी कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 को अपने पंप हाउस, पाइप लाईन और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए 25 वर्षों के लिए 3.79 हे0 वन भूमि के नवीकरण को मंजूरी दी। 4. <u>तदनुसार विलेख के निष्पादन के लिए पट्टा विलेख तैयार किया गया और मूल प्रयोक्ता एजेंसी के अधिकारियों और वन अधिकारी, डीएफओ रेनुकूट के हस्ताक्षर प्राप्त करने के</u>

Grasim Industries Limited
Chemical Division Renukoot
P.O.: Renukoot - 231 217,
Distt.: Sonebhadra (U.P.) India

Telephone +91- 5446 - 252044/55/75
Fax +91- 5446 - 252088

Website www.grasim.com
E-mail grasim.renukoot@adityabirla.com
CIN L17124MP1947PLC000410
PAN AAACG4464B

Regd. Office - Birlagram, Nagda - 456331, M.P., India

ADITYA BIRLA

GRASIM

		बाद दिनांक 22.05.2000 के अपने पत्र के माध्यम से नोडल अधिकारी/सीसीएफ लखनऊ को अनुमोदन के लिए पट्टा विलेख को अग्रेषित किया गया। ताकि लीज डीड निष्पादित किया जा सके। 5. तत्पश्चात पट्टा विलेख का अनुमोदन सरकारी स्तर पर अनुमोदन के लिए लंबित रहा। डीएफओ रेनुकूट ने अपने दिनांक 10.03.2010 के पत्र के माध्यम से मूल उपयोगकर्ता एजेंसी को सरकार से लीज डीड अनुमोदित कराने के लिए सूचित किया। तब से सरकार द्वारा लीज डीड के अनुमोदन की दिशा में कोई कारवाई नही की गई जो अंततः 31.03.2013 को समाप्त हो गई। इस प्रकार यह पूरी तरह उपयोगकर्ता एजेंसी को जिम्मेदार नही ठहराया जा सकता है जो लीज डीड के अनुमोदन के लिए सरकार के समक्ष लंबित है। सुरंगत

Grasim Industries Limited
Chemical Division Renukoot
P.O.: Renukoot - 231 217,
Distt.: Sonebhadra (U.P.) India

Telephone +91-5446-252044/55/75
Fax +91-5446-252088

Website www.grasim.com
E-mail grasim.renukoot@adityabirla.com
CIN L17124MP1947PLC000410
Pan AAACG4464B

ADITYA BIRLA
GRASIM

		दस्तावेज की छायाप्रति संलग्नक -15 हैं।

अतः आपसे निवेदन हैं कि प्रश्नगत मामले में 3.79 हे0 वन भूमि के पट्टा नवीनीकरण प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2021 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 की (गाईड लाईन एवं क्लीरिफिकेशन) के चैप्टर - 5 एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के अनुसार प्रकरण को Ex-Post-Facto के अन्तर्गत प्रश्नगत वन भूमि का पट्टा 25वर्षो की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2038 तक के लिये नवीनीकृत करने हेतु प्रस्ताव उ0प्र0 शासन स्तर से भारत सरकार को अनुमोदित करने की कृपा करें।

सधन्यवाद

भवदीय

ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि0

(मनीष गर्ग)
इकाई प्रमुख

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

Grasim Industries Limited
Chemical Division Renukoot
P.O.: Renukoot - 231 217,
Distt.: Sonebhadra (U.P.) India

Telephone +91- 5446 - 252044/55/75
Fax +91- 5446 - 252088

Website www.grasim.com
E-mail grasim.renukoot@adityabirla.com
CIN L17124MP1947PLC000410
PAN AAACG4464B

Regd. Office - Birlagram, Nagda - 456331, M.P., India

संलग्नक - 1

(23)

Copy of G.O.No.1222/XIV-B-215/61, dated April 25,1964 from Sri Vidya Prakash, Sahayak Sachiv, Van(Kha) Vibhag.U.P. Shasan, Lucknow to the Conservator of Forests, S.C, U.P. Allahabad. and copy to others.

Sub: Grant of lease of land to M/S Kanoria Chemicals for laying water pipe line from Rihand Reservoir to their factory site and for installation of pump house.

With reference to your letter No. 286-C/SC/16-74, dated Jan, 15,1964, on the above subject, I am directed to convey the sanction of the Governor to the lease of 5,740 acres and 3.619 acres of land in Murdhwa Gt. 6 of Dudhi Range, Dudhi Forest Division to M/S Kanoria Chemicals and Industries Ltd. for installation of a pump House and for laying out underground water pipe line and overhead Transmission line for a period of 25 years. The premium should be charged at the rate of Rs 160/- per acre and the annual lease rent should be Rs 8/- (Rupees eight only) per acre

2. A Draft of the lease deed incorporating other necessary terms and conditions may please be submitted to Govt. for approval and the lessee may please be asked to deposit Rs 32/- as conveyancing fee under the head of Account "XVII. Administration of justice- Miscellaneous- Fees received by Government Servants for work done for private bodies " and to send the receipted copy of the Treasury Challan to the Govt. Conveyancer, U.P.

****

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)

S. N. Sastry

सत्य प्रतिलिपि

(... तिवारी) ... तिवारी

[illegible] - 2

24

पत्र सं0 [illegible]

दूरभाष : 70107
Phone : 75984
75868

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)
Regional Office (Central Region)
बी-1/72, सेक्टर 'के', अलीगंज,
B-1/72, Sector 'K' Aliganj,
लखनऊ-226020
Lucknow-226020

दिनांक 23.5.95

सेवा में,

सचिव,
वन विभाग, उ0 प्र0 शासन,
लखनऊ ।

विषय:- जनपद सोनभद्र में कनोरिया एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनूकूट को पम्प हाउस पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रांसमिशन लाईन हेतु 3.79 हेक्टेअर वन भूमि का 25 वर्षों हेतु लीज पर नवीनीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं0 514/14-2-503/1961 दिनांक 16.4.91 का अवलोकन करें जिसके द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन कर उसे गैरवानिकी कार्य के लिये उपयोग में लाने हेतु भारत सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति मांगी गई है.

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा -2(दो) के तहत जनपद सोनभद्र में मै0 कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनूकूट को पम्प हाउस पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रांसमिशन लाईन के लीज के नवीनीकरण हेतु 3.79 हेक्टेअर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति गैर वानिकी कार्यों के लिये निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है

(1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
(2) लीज की अवधि 31.3.2013 तक होगी ।
(3) वन भूमि का प्रयोग सिर्फ उपरोक्त प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य किसी कार्य हेतु नहीं । यदि यह पाया गया कि वन भूमि का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु किया जा रहा है तो स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी एवं वन भूमि वन विभाग को वापस हो जायेगी ।
(4) वन विभाग द्वारा याचक विभाग के व्यय पर समतुल्य गैरवानिकी भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा ।
(5) उक्त गैरवानिकी भूमि को संरक्षित वन घोषित किया जायेगा ।

भवदीय,
दीपक कुमार
23/5
(दीपक कुमार)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
[illegible]
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट, सोनभद्र

(19)

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)

S. N. Sastry
Authorized Signatory

अनुलग्नक-3
Annexure-'6'

प्रेषक,

श्री दया शंकर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या: जीआई-159/14-2-95-503/1961.

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, उ0प्र0लखनऊ।

R.C.I.
21 JAN
RENUKOOT

वन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक

विषय:- जनपद-सोनभद्र में मे0 कनोरिया केमिकल्स एण्ड को पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्र 3.79 हे0 वनभूमि का 25 वर्षों हेतु लीज का नवीनीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या: 1252/14-बी-503/61, दिनांक:25-4-1964 के अनुक्रम में श्री राज्यपाल उक्त प्रयोजन हेतु 3.79 हे0 वनभूमि के लीज के नवीनीकरण की निम्न शर्तों एवं भारत सरकार के पत्र संख्या:8बी/09/324/92/एफ0सी0-सी0-407, दिनांक:23-5-1995 (फोटो प्रति संलग्न) में उल्लिखित सभी शर्तों पर स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त संस्था भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

(2)-संस्था के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर जो अन्तिम निर्णायक तथा उक्त संस्था पर बाध्यकारी होगा, संस्था द्वारा देय होगा।

(3)-उक्त भूमि संस्था के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि संस्था को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी। यदि संस्था को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो संस्था के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0सरकार को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगी।

(4)-वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(5)-कथित भूमि लीज के नवीनीकरण के बाद भी आरक्षित वनभूमि बनी रहेगी तथा उसके वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

..........2/-

17

16)-याचक इकाई के व्यय पर समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण करवाया जायेगा एवं भूमि हस्तान्तरण से पूर्व चिन्हित गैर वनभूमि को संरक्षित वन घोषित करना होगा।

17)-वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुँचायें, इसके लिए उक्त संस्था ईंधन की लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध करायेगी या ईंधन की लकड़ी की कीमत उनके वेतन या मजदूरी में से काट ली जायेगी।

18)-वनभूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण यदि कोई हो, तो उ0प्र0वननिगम द्वारा करवाया जायेगा। यदि किसी कारणवश संस्था को खड़े वृक्ष सौंपे जाते है, तो उनका सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य पर भुगतान उक्त संस्था से प्राप्त किया जायेगा।

19)-वनभूमि हस्तान्तरण के पूर्व भूमि का मूल्य वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी, सोनभद्र से निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम तथा प्रीमियम का 10 प्रतिशत लीज रेन्ट वन विभाग द्वारा वसूल कर लिया जायेगा।

2- यह आदेश प्राधिकृत समिति की दिनांक:14-3-95 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय एवं वित्त विभाग की अशासकीय संख्या:ई-3-1383/दस-1995, दिनांक:25-9-95 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(दया शंकर)
अनु सचिव।

संख्या:जीआई-1591(1)/14-2-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) बी-1/72, सेक्टर-"के", अलीगंज, लखनऊ।
2- महालेखाकार (द्वितीय) उ0प्र0इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4- प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र।
5- अध्यक्ष, मै0कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, रेणुकूट, सोनभद्र।
6- वित्त (व्यय-नियन्त्रक) अनुभाग-8, उ0प्र0सचिवालय।

आज्ञा से,

(दया शंकर)
अनु सचिव।

संलग्नक – 4

KANORIA CHEMICALS & INDUSTRIES LIMITED

KCI
Park Plaza
71, Park Street
7th Floor
Kolkata-700 016
Tel 2249-9472/9473/9474
Fax 91-33-22499466
E-mail : cal@kanoriachem.com
Website www.kanoriachem.com

Extracts of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Company held on 16th April, 2011

Transfer of Chloro Chemicals Business

The Chairman informed the Board of a proposal to transfer by way going concern basis, the Chloro Chemicals business of the Cc Chemical manufacturing and Power generating Plants situated Sonebhadra (U.P) and Salt Works at Gujarat (hereinafter called "I ... to Aditya Birla Chemicals (India) Limited, at a consideration of Rs. 830 Crore (Rupees eight hundred thirty Crore only). He also explained to the Board the rationale and the benefits of the proposed transfer. The Board noted that the Chloro Chemicals business involves a hazardous and risky manufacturing process and that over the past years, the returns from the said business have also not been commensurate with the investments and risks involved in it. Further capital expenditure is also needed for this division to maintain the older sections of the plants as also to replace the Mercury Cell based Caustic Soda plant with the new generation plant based on Membrane Cell technology, which will lead to greater indebtedness and also add to risks.

It was further informed that this move would enable the Company to expand in its other existing businesses as well as bring opportunities in new and related businesses through both organic growth and acquisitions.

Shri N. K. Nolkha, Chief Financial Officer of the Company made presentation before the Board covering various aspects of the above proposed transfer.

The Board further noted that a Business Transfer Agreement is needed to be executed between the Company and Aditya Birla Chemicals (India) Limited in order to implement the above proposal. A draft Business Transfer Agreement, initialled by the Chairman for the purpose of identification, was placed in this regard before the Board and perused by the Directors.

The Board deliberated the matter at length and thereafter passed the following resolutions unanimously in this regard:

"RESOLVED that subject to the approval of the shareholders of the Company under Section 293(1) (a) of the Companies Act, 1956 and other necessary approvals in this regard, the Company's Chloro Chemicals Division, comprising of Chemical manufacturing and Power generating Plants situated at Renukoot, District Sonebhadra (U.P) and Salt Works at Gujarat, be sold, transferred or otherwise disposed of on slump sale and going concern basis to Aditya Birla Chemicals (India) Limited at a consideration of Rs.830 Crore (Rupees eight hundred thirty Crore only), on the terms and conditions contained in the draft Business Transfer Agreement placed before the Meeting."

Kanoria Chemicals & Industries Ltd. Kolkata-16

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra ...

"**RESOLVED FURTHER** that the draft Business Transfer Agreement with regard to the above sale, transfer or disposal of the Company's Chloro Chemicals Division be and the same is hereby approved."

"**RESOLVED FURTHER** that the Company do take further steps for obtaining all requisite approvals including that of the shareholders and lenders of the Company, regulatory authorities and other persons, whose consent is required under the law for the above sale, transfer or disposal of the Company's Chloro Chemicals Division and for that purpose to initiate all necessary actions for convening meetings of the Equity Shareholders of the Company and to take other consequential steps in that behalf, including the preparation and circulation of the notices and explanatory statements, and filing of all other documents required to be filed in this connection."

"**RESOLVED FURTHER** that Shri R. V. Kanoria, Managing Director, Shri J. P. Sonthalia, Managing Director (Designate) – Chloro Chemicals and Shri T. D. Bahety, Wholetime Director of the Company, be and are hereby severally authorised on behalf of the Company to:

- finalise, settle, sign and execute the Business Transfer Agreement and such other agreements, deeds, documents, undertakings, letters, covenants, memoranda, etc. with Aditya Birla Chemicals (India) Limited and/ or any other agency, on behalf of the Company, including such modifications or amendments thereto as they may deem fit and necessary from time to time, as may be required with regard to the above matter;

- incur such other expenses as may be necessary with regard to the above matter, including payment of fees of solicitors, advisors and other agencies and such other expenses that may be incidental to the above, as may be decided by them;

- do all such other acts, matters, deeds and things necessary or desirable in connection with or incidental to giving effect to the above resolution and/or as contemplated under the aforesaid documents."

"**RESOLVED FURTHER** that Shri R. V. Kanoria, Managing Director, Shri J. P. Sonthalia, Managing Director (Designate) – Chloro Chemicals and Shri T. D. Bahety, Wholetime Director of the Company, be and are hereby severally authorised to appoint/authorise any one or more officers/ authorised persons of the Company and to execute Power of Attorneys to perform all the acts, deeds and things in the above matter, as they may deem fit and expedient."

"**RESOLVED FURTHER** that the Common Seal of the Company be affixed on the agreements, deeds, other documents and the Power of Attorney(s) so granted in the presence of any one of the aforesaid Directors of the Company who shall sign the same in token thereof."

"**RESOLVED FURTHER** that Shri R. V. Kanoria, Managing Director, Shri J. P. Sonthalia, Managing Director (Designate) – Chloro Chemicals, Shri T. D. Bahety, Wholetime Director, Shri N. K. Nolkha, Chief Financial Officer, Shri S. K. Kak, Chief Executive Officer (Business

Kanoria Chemicals & Industries Ltd. Kolkata-16

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

Development- Corporate), Shri N. K. Sethia, Company Secretary and Shri M. R. Mehta, Sr. Vice President (Administration & Taxation) of the Company, be and are hereby severally authorised in the name and on behalf of the Company to:

- finalise, settle, sign and execute any affidavits, declarations, vakalatnamas, deeds, writings, undertakings, etc., as may be required in the matter of any legal proceedings initiated by or against the Company relating to the aforesaid matter and to appoint advocates and to do all such other acts, deeds and things as may be required from time to time in relation thereto.

- take all steps for obtaining approvals and/or consents of shareholders of the Company, banks, financial institutions and other authorities or entities as may be required and for that purpose, to initiate all necessary actions and to take other consequential steps in that behalf;

- make, execute, swear, declare and register all declarations, affidavits, applications, letters, papers and writings as may be required, necessary or expedient under the provisions of various applicable acts, rules, regulations or notifications of the Central and/or State Government(s) and/or any other Authorities, including but not limited to Courts, Municipal Authorities, Registrar of Companies, Sub-Registrar of Assurances, Telephone Authorities, Electricity Authorities, Postal Authorities, etc., and to represent the Company in all correspondences, matters and proceedings before them of any nature whatsoever in relation to the above, and

- suitably inform, apply and / or represent before the concerned Authorities at Renukoot and other places, including in respect of the requirements of the Central and/or State Government(s) and/or local authorities, including but not limited to the Sub-Registrar of Assurances, Customs Authorities, Excise Authorities, Income Tax Authorities, Sales Tax Authorities, Value Added Tax and Entry Tax Authorities, Employees' State Insurance and Provident Fund Authorities, Railways, Telephone Authorities, Electricity Authorities, Postal Authorities, and all other applicable Authorities, Agencies, etc., and/or to represent the Company before the said Authorities and Agencies and to sign and submit such applications, letters, forms, returns, memoranda, undertakings, declarations, deeds or documents and to take all the necessary steps and actions from time to time in connection with the above matter, including registration of necessary documents with the concerned Sub-Registrar of Assurances and/or other Authorities."

"**RESOLVED FURTHER** that the Common Seal of the Company be affixed on such agreements, undertakings, deeds or other documents as may be required (including on any modifications or amendments thereto as may be required from time to time), in the presence of any one of the Directors of the Company who shall sign the same in token thereof."

Certified to be true

For KANORIA CHEMICALS & INDUSTRIES LTD

(N. K. Sethia)
Company Secretary

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Dist. Sonebhadra, (U.P.)

ADITYA BIRLA CHEMICALS

TRUE COPY OF RESOLUTION PASSED IN THE MEETING OF BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD ON 16TH APRIL 2011

To consider and approve strategic investment by the Company

The Board was informed of the proposal to purchase, by way of slump sale and on a going concern basis, Chloro Chemical Business manufacturing unit of Kanoria Chemicals and Industries Limited situated at Renukoot, Uttar Pradesh and Salt works at Gujarat ("the Business Undertaking") by the Company (the proposal to transfer/ purchase the Business Undertaking is hereinafter called the "Transaction"). The Board was further informed that this move would be in line with the Company's strategy to exploit growth opportunities especially driven by increasing demand for caustic soda as well as to gain from operational synergies.

The Chairman informed the Board that, subject to the approval of the Board, it is proposed to implement the Transaction by way of slump sale and on a going concern basis from Kanoria Chemicals and Industries Limited.

The Chairman further informed the Board that in relation to the Transaction described above, the Company and Kanoria Chemicals and Industries Limited were proposing to execute, inter alia the Business Transfer Agreement.

In this behalf, the draft of Business Transfer Agreement, initialed by the Chairman of the meeting for the purpose of identification, was placed before the Board.

The rationale for and benefits of the proposed purchase were then briefly explained to the Board. The Chairman then asked Shri S. S. Gupta, Managing Director, to make a presentation to the Board about the Transaction. Shri S. S. Gupta accordingly made a presentation and explained the proposed transaction in detail.

The Board deliberated the matter at length and thereafter, passed the following resolutions unanimously:

"Resolved that the consent of Board of Directors of the Company be accorded to acquire Chloro Chemical division of Kanoria Chemicals and Industries Limited situated at Renukoot, Uttar Pradesh and Salt works at Gujarat ("Business Undertaking") by way of slump sale and on a going concern basis for a upfront cash consideration of Rs.830,00,00,000/- (Rupees Eight Hundred Thirty crores only) ("the Transaction"), subject to the obtaining of all requisite approvals."

"Resolved further that the draft of the Business Transfer Agreement as placed in the meeting in connection with the Transaction be executed and the same is hereby approved and any one of Shri Paresh Thacker of Corporate Legal Group and Shri

ADITYA BIRLA CHEMICALS (INDIA) LIMITED
(formerly : Bihar Caustic & Chemicals Limited)
Regd. Office & Works: GARHWA ROAD, REHLA - 822 124 DIST.: PALAMAU (JHARKHAND)
PH.: +91 6584 262211/221/483 FAX: +91 6584 262205 E-MAIL: abcil@adityabirla.com

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra (U.P.)

Sanjay Khattry of Group Corporate Finance, both from Aditya Birla Management Corporation Private Limited be and are hereby authorized, on behalf of the company, to verify, sign and execute the said Business Transfer Agreement and other related deeds, documents, undertakings, letters covenants etc. as required in this respect."

"Resolved further that the Company do take further steps for obtaining requisite approvals of the regulatory authorities and other persons, if any, as required for the Transaction."

"Resolved further that any two of the following Directors/ Officers/ Authorised Person of the Company, viz., Shri K.C. Jhanwar, Shri S.S.Gupta, Shri Chandra Prakash Bansal, Shri Paresh Thacker and Shri Akash Mishra, acting jointly, be and hereby authorized jointly on behalf of the Company to:

- finalise, settle, sign and execute any agreement related to Business Transfer Agreement, deeds, documents, undertakings, letters, covenants, memoranda, etc., on behalf of the Company as may be required, including such modifications or amendments thereto as they may deem fit and necessary from time to time with Kanoria chemicals and Industries Limited and/ or any other agency, for the purpose of giving effect to the aforesaid Transaction;

- appoint Auditors, Solicitors, Advocates, Attorneys, Pleaders, Advisors, Registrars, Valuers, Accountants or any other one or more agencies, as may be required for the aforesaid purpose, on such terms and conditions as they may deem fit and also to execute Vakalatnama, if required, in favour of any one or more persons or firms as they may deem fit and necessary;

- consider and approve all other documents, advertisements or announcements which may be sent / required to be sent to the concerned authorities on behalf of the Company;

- incur such other expenses as may be necessary with regard to the above Transaction, including payment of fees of solicitors, merchant bankers, advisors, valuers, registrars and other agencies and such other expenses that may be incidental to the above, as may be decided by them;

- do all such other acts, matters, deeds and things necessary or desirable in connection with or incidental to giving effect to the purpose of the above resolution or otherwise give effect to the Transaction contemplated under the aforesaid documents."

"Resolved further that the any one of the following Directors of the Company, viz., Shri Lalit Naik, Shri K.C.Jhanwar, and Shri S. S. Gupta be and are hereby authorised

ADITYA BIRLA CHEMICALS (INDIA) LIMITED
(formerly : Bihar Caustic & Chemicals Limited)
Regd. Office & Works. GARHWA ROAD, REHLA 822 124 DIST. : PALAMAU (JHARKHAND)
TEL. +91 6584 262211/221/488 FAX +91 6584 262205 E-MAIL: abcil@adityabirla.com

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

and is hereby granted Power of Attorney to, acting severally, authorize, any one of the officers of the company/ authorised persons and also to execute Power of Attorneys to any person to perform all such acts, deeds and things in this regard, as they may deem fit and expedient, without any further reference to the Board."

"Resolved further that the Power of Attorney so granted to any one of the aforesaid Directors be executed by any one of the Directors of the Company and that the Common Seal of the Company be affixed thereon in the presence of any two of the Directors of the Company or any one of the aforesaid Directors of the Company and any one of the following persons, viz., Shri Akash Mishra, Shri C.P.Bansal, who shall sign the same in token thereof."

"Resolved further that the following Directors/Officers/ Authorised Person of the Company, viz., Shri Lalit Naik,Shri K.C.Jhanwar, Shri S.S.Gupta, and Shri Akash Mishra , be and are hereby severally authorised in the name of and on behalf of the Company to:

- finalise, settle, sign and execute any affidavits, declarations, vakalatnamas, deeds, writings, undertakings, etc., as may be required in the matter of any legal proceedings initiated by or against the Company relating to the aforesaid Transaction and to appoint advocates and to do all such other acts, deeds and things as may be required from time to time in relation thereto;

- take all steps for obtaining approvals and/or consents banks, financial institutions and other authorities or entities as may be required and for that purpose, to initiate all necessary actions and to take other consequential steps in that behalf;

- make, execute, swear, declare and register all declarations, affidavits, applications, letters, papers and writings as may be required, necessary or expedient under the provisions of various applicable acts, rules, regulations or notifications of the Central and/or State Government(s) and/or any other authorities, including but not limited to Courts, Municipal authorities, Registrar of Companies, Sub-Registrar of Assurances, Telephone authorities, Electricity authorities, Postal authorities, etc., and to represent the Company in all correspondences, matters and proceedings before them of any nature whatsoever in relation to the above; and

- suitably inform, apply and / or represent to the concerned authorities at Renukoot and other palces, including in respect of the requirement of the Central and / or State Government(s) and/ or local authorities, including but not limited to the Sub-Registrar of Assurances, Customs Authorities, Excise Authorities, Income Tax Authorities, Sales Tax authorities, Value Added Tax and Entry Tax Authorities, Employees' State Insurance and Provident Fund Authorities, Railways, Airways, Airport Authorities, Telephone Authorities, Electricity Authorities, Postal

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

Authorities, and all other applicable authorities, agencies, etc., and/or to represent the Company before the said authorities and agencies and to sign and submit such applications, letters, forms, returns, memoranda, undertakings, declarations, deeds or documents and to take all required necessary steps and actions from time to time in the above connection, including registration of documents with the concerned Sub-Registrar of Assurances."

"Resolved further that the Common Seal of the Company be affixed on such agreements, undertakings, deeds or documents as may be required (including on any modifications or amendments thereto as may be required from time to time), in the presence of any two Directors of the Company or any one of the aforesaid Directors of the Company and any one of the following persons, viz., Shri Akash Mishra or Shri C.P.Bansal, who shall sign the same in token thereof".

Certified to be true

For Aditya Birla Chemicals (India) Ltd.
(Formerly Bihar Caustic & Chemicals Ltd.)

(Akash Mishra)
Company Secretary

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

ADITYA BIRLA CHEMICALS (INDIA) LIMITED
(formerly : Bihar Caustic & Chemicals Limited)
Regd. Office & Works: GARHWA ROAD, REHLA - 822 124 DIST. : PALAMAU (JHARKHAND)
PH. : +91 6584 262211/271/466 FAX : +91 6584 262205 E MAIL : abcil@adityabirla.com

संलग्नक-5

संलग्नक-18

ADITYA BIRLA
CHEMICALS

पत्रांक:ए.बी.सी.आइ.एल/40

सेवा में, दिनांक- 30-03-2012

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट
जिला-सोनभद्र ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में मे. कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्ड को पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्सति 3.79 हे. वन भूमि का मे. आदित्य बिड़ला केमिक रेनुकूट के पक्ष में 25 वर्षों हेतु नवीनीकरण किया जाना ।

संदर्भ:- 1.भारत सरकार के पत्र संख्या- 08बी/09/324/92/एफ.सी. -सी-407, दिनांक- 23.05.1995
2.अनु सचिव उ.प्र. शासन का आदेश संख्या- जी.आई. 159/14-2-95-503/1961 लखनऊ दिनांक- 16 जनवरी, 1996

महोदय,

संदर्भित पत्र के माध्यम से जनपद-सोनभद्र में मे. कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु 3.79 हे. वन भूमि 25 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण की अनुमति प्रदान की गयी थी जिसकी लीज अवधि दिनांक- 31.03.2013 को समाप्त होने वाली है । दिनांक-16.04.2011 को मे. कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट एवं मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. के मध्य विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि, मे. कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट से संबंधित समस्त सम्पत्ति मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. को उक्त प्रयोजन हेतु हस्तान्तरण के आधार पर दे दिया जाय । उक्त के परिणामस्वरूप मे. कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को लीज पर दी गयी 3.79 हे. वन भूमि का उपयोग अब मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट द्वारा उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा । तत्क्रम में मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट द्वारा 25 वर्षों के लीज पर नवीनीकरण करने हेतु यह नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न नवीनीकरण प्रस्ताव को अपनी संस्तुति सहित उच्च स्तर पर प्रेषित करते हुए नवीनीकरण कराने की कृपा करें ।

भवदीय,
कृते आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि.

(वी.आर.अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

संलग्नक प्रस्ताव 6 प्रति

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)

ADITYA BIRLA CHEMICALS (INDIA) LIMITED
RENUKOOT CHEMICAL DIVISION
P. O. Renukoot 231 217, Dist. : Sonebhadra (U.P.) INDIA
PH. : 05446-252044/55/75, FAX : 05446-252088, E-mail : abcil.renukoot@adityabirla.com
Regd. Office : GARHWA ROAD, REHLA : 822 124, DIST. PALAMAU, (JHARKHAND) INDIA

संलग्नक-6

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक-- / 11-सी-77 दिनांक, लखनऊ, मई 7 2012

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन)
उ0प्र0 शासन,
वन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय- मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, रेनूकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु 3.79 हे0 वन भूमि का मे0 आदित्य बिडला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 रेनूकूट के पक्ष में 25 वर्षों हेतु लीज का नवीनीकरण किया जाना।

महोदय,

जनपद सोनभद्र के रेनूकूट वन प्रभाग में कनौरिया केमिकल्स एण्ड ... को पम्प हाउस पाईप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाइन हेतु 3.7 ... सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की पत्र संख्या-1252/14-बी-505/6 ... दिनांक 01.04.63 से 31.03.88 तक 25 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 20.04.70 को सचिव वन विभाग एवं मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनूकूट के मध्य लीज डीड का निष्पादन हो चुका है, जिसकी छाया प्रति वर्तमान नवीनीकरण प्रस्ताव के संलग्नक-13 पर है।

उक्त लीज की अवधि समाप्त हो जाने पर प्रयोक्ता द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त लीज नवीनीकरण हेतु स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार ने दिनांक 23.05.95 को प्रदान कर दी, जिसकी अवधि 31.03.13 तक को निश्चित की गई (वर्तमान संलग्न प्रस्ताव का संलग्नक-1)। उक्त स्वीकृति के कम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आदेश संख्या जी0आई0-159/14-2-95-503/1961, दिनांक 16.01.96 द्वारा विभिन्न 9 शर्तों के अन्तर्गत स्वीकृति/नोटिफिकेशन जारी की गई (वर्तमान संलग्न प्रस्ताव का संलग्नक-2)।

उक्त स्वीकृतियों में अध्यारोपित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता द्वारा किया गया है (वर्तमान संलग्न प्रस्ताव का संलग्नक-7)।

प्रयोक्ता द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये लीज डीड का विलेख विधिक्षण हेतु इस कार्यालय की पत्र संख्या-890/11-सी-70(सोनभद्र) दिनांक 29.09.98 एवं पत्रांक-6005/11-सी-70, दिनांक 01.06.2000 (फोटो प्रतियां संलग्न) द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है। प्रभागीय वनाधिकारी, रेनूकूट द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता द्वारा दिनांक 01.04.88 से 31.03.13 तक के लिए निर्धारित/प्रस्तावित लीज रेन्ट की धनराशि/प्रयोक्ता द्वारा नियमित रूप से जमा करा दी गई है।

क्रमशः-2

संलग्नक–6

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक– / 11–सी–77 दिनांक, लखनऊ, मई 7 2012

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन)
उ0प्र0 शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय– मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, रेनूकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्सनिशन लाईन हेतु 3.79 हे0 वन भूमि का मे0 आदित्य बिडला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 रेनूकूट के पक्ष में 25 वर्षों हेतु लीज का नवीनीकरण किया जाना।

महोदय,

जनपद सोनभद्र के रेनूकूट वन प्रभाग में कनौरिया केमिकल्स एण्ड [illegible] को पम्प हाउस पाईप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाइन हेतु 3.7[illegible] सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की पत्र संख्या–1252/14–बी–505/6[illegible] द्वारा दिनांक 01.04.63 से 31.03.88 तक 25 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 20.04.70 को सचिव वन विभाग एवं मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनूकूट के मध्य लीज डीड का निष्पादन हो चुका है, जिसकी छाया प्रति वर्तमान नवीनीकरण प्रस्ताव के संलग्नक–13 पर है।

उक्त लीज की अवधि समाप्त हो जाने पर प्रयोक्ता द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त लीज नवीनीकरण हेतु स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार ने दिनांक 23.05.95 को प्रदान कर दी, जिसकी अवधि 31.03.13 तक को निश्चित की गई (वर्तमान संलग्न प्रस्ताव का संलग्नक–1)। उक्त स्वीकृति के कम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आदेश संख्या जी0आई0–159/14–2–95–503/1961, दिनांक 16.01.96 द्वारा विभिन्न 9 शर्तो के अन्तर्गत स्वीकृति/नोटिफिकेशन जारी की गई (वर्तमान संलग्न प्रस्ताव का संलग्नक–2)।

उक्त स्वीकृतियों में अध्यारोपित शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता द्वारा किया गया है (वर्तमान संलग्न प्रस्ताव का संलग्नक–7)।

प्रयोक्ता द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये लीज डीउ का विलेख विधिक्षण हेतु इस कार्यालय की पत्र संख्या–890/11–सी–70(सोनभद्र) दिनांक 29.09.98 एवं पत्रांक–6005/11–सी–70, दिनांक 01.06.2000 (फोटो प्रतियां संलग्न) द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है। प्रभागीय वनाधिकारी, रेनूकूट द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता द्वारा दिनांक 01.04.88 से 31.03.13 तक के लिए निर्धारित/प्रस्तावित लीज रैन्ट की धनराशि/प्रयोक्ता द्वारा नियमित रूप से जमा करा दी गई है।

क्रमशः–2

(1)

दिनांक 16.04.11 को मै0 कनोरिया केमिकल्स लि0 रेणुकूट द्वारा विवादगत वन भूमि मै0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 को उसी प्रयोजन हेतु बिक्री/हस्तान्तरण के आधार पर दे दी गई, जिसके कारण उसी प्रयोजन हेतु लीज पर दी गई वन भूमि जिसकी लीज अवधि 31.03.13 को समाप्त हो रही है, के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव मै0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के बिन्दु संख्या-2.8 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मै0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 रेणुकूट के 30 वर्षों हेतु लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव दो प्रतियों में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विचाराधीन लीज नवीनीकरण हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रस्ताव निम्न अभिलेखों के साथ प्रेषित किया जा रहा है-

1- मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता संलग्न है।

2- एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है।

3- क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है।

4- उपयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है।

5- जिलाधिकारी द्वारा निर्गत भूमि की वर्तमान दरों का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

6- पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है।

7- वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है।

8- परियोजना सम्बन्धित मानचित्र संलग्न है।

9- मेमोरेण्डम एवं आर्टिकल आफ एसोसियेशन संलग्न है।

10- वन भूमि से सम्बन्धित विवरण चार्ट संलग्न है।

संलग्नक:-यथोपरि (प्रस्ताव की दो प्रति)।

भवदीय

(एन0के0द्विवेदी)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या-[illegible] / दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर।

2- प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र।

3- श्री अविनाश राय, महा प्रबन्धक, कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 1/115 विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

4- मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 रेणुकूट, सोनभद्र।

(एन0के0द्विवेदी)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

2-

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI

Company Petition No.5 of 2015
with
Company Petition No.6 of 2015

Aditya Birla Chemicals(India) Limited, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at Garhwa Road, P.O. & P.S. Rehla, District Palamau, Jharkhand-822124 through its Authorized Signatory Mr. Hemanta Kumar Panda, Chief Financial Officer, having Office address at Aditya Birla Chemicals(India) Limited, Garhwa Road, P.O. & P.S. Rehla, District Palamau

(In C.P. No.6 of 2015)

M/s Aditya Birla Chemicals(India) Limited a company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at Garhwa Road, P.O. & P.S.-Rehla, Palamau, Jharkhand 822124, through its Authorised Signatory Mr. Akash Mishra aged about 44 years, having office address at Aditya Birla Chemicals (India) Limited, Garhwa Road, P.O.-Rehla, Palamau, Jharkhand 822124, Authorised Signatory of Aditya Birla Chemicals (India) Limited (hereinafter referred to as the "Transferor Company")

... ... Petitioners

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE D.N. PATEL

For the Petitioner: M/s M.S. Mittal, Sr. Adv.
Shilpi John, Adv.
Naveen Kr., Adv.
Ankit Vijay, Adv.
Saurav Singh, Adv.

03/Dated 24th November, 2015

1. Heard Learned counsel for the Parties.

2. This petition under sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956 has been filed by the petitioner "Aditya Birla Chemicals (India) Limited" in the matter of Scheme of Amalgamation of Aditya Birla Chemicals (India) Limited (Transferor Company) and Grasim Industries Limited (Transferee Company) and their respective shareholders and creditors (Scheme) and the approval of the said Scheme of Amalgamation in this regard. The registered office of the petitioner-Transferor Company is located at Garhwa Road, P.O. Rehla, District Palamau within the territorial jurisdiction of this Court, whereas the registered office of the Transferee Company namely Grasim Industries Limited is located at Birlagram, Nagda, District Ujjain, Madhya Pradesh and it has been submitted by the counsel for the petitioner that the Transferee Company has filed a separate petition before the High Court of Madhya Pradesh, bench at Indore, which has, by its order dated 9th October, 2015, approved the said Scheme, subject to the outcome of this petition filed by the petitioner before this Court.

Suresh Kumar
Stamp Vendor
Lic No. .../06-...
Jharkhand Judicial Court

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

3. In the first stage proceedings, this court, vide orders dated 1st May, 2015 and 22nd May, 2015 in Company Petition No. 5 of 2015 had directed the meeting of the equity shareholders and unsecured creditors of the petitioner Company and further dispensed the requirement of meeting of secured creditors in view of no objection given by secured creditors to the scheme. The report of the Chairman had been filed disclosing that the shareholders and unsecured creditors had approved the scheme in the meeting.

4. In the present petition, this Court vide order dated 28th August, 2015 had directed the petitioner to serve notice to the concerned Regional Director, Eastern Region, Ministry of Corporate Affairs, Kolkata, West Bengal, Registrar of Companies, Bihar & Jharkhand, Official Liquidator, Jharkhand and Income Tax authority with a direction that the Income Tax Authority may submit their comments/views/remarks on the tax aspects of the Scheme to the concerned Regional Director within 15 days from the receipt of the Notice of the hearing of the petition, in terms of General Circular No. 1/2014, F.No.2/2014 dated 15th January, 2014 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India. It was further directed that if no response is received by the concerned Regional Director from the Income Tax Department within 15 days it may be presumed that Income Tax Department has no objection to the proposed Scheme and that the concerned Regional Director, Registrar of Companies, Income Tax Department and Official Liquidator are directed to file their reports before the date fixed for hearing and also directed to publish the notice of hearing of the petition in Prabhat Khabar (Ranchi edition) in Hindi and in Hindustan Times (Ranchi edition) in English and publication of notice in the Jharkhand Government Gazette was dispensed with. The affidavit of compliance has been filed in the matter along with the paper publications.

5. From the record and submission of counsel for petitioner, it is found that the petitioner/Transferor Company Aditya Birla Chemicals (India) Limited, was originally incorporated on the 20th day of July, 1976 under the name of "Bihar" Caustic & Chemicals Limited" under the Companies Act, 1956 and the Registrar of Companies, Bihar, Patna had issued a Certificate of Incorporation dated 20th July, 1976. The Registrar of Companies, Bihar, Patna had also issued a Certificate of Commencement of Business dated 18th August, 1976. Thereafter, the name of the

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(C... l Division Renukoot)
P.O. Renukoot ...217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

Transferor Company was changed from "Bihar Caustic & Chemicals Limited" to "Aditya Birla Chemicals (India) Limited" on the 14th day of January, 2009. Consequent to the change of name, the Registrar of Companies, Bihar and Jharkhand issued a fresh Certificate of Incorporation. The Transferor Company has its registered office at Garhwa Road, P.O.-Palamau, Jharkhand-822124. The objects for which the Petitioner Company has been established are set out in its Memorandum of Association. The petitioner Company is inter-alia engaged in the business of manufacture of Chlor Alkali and allied chemicals. The Transferor Company is one of the leading Chlor-Alkali Company with manufacturing plants located at Rehla (Jharkhand), Renukoot (Uttar Pradesh), Karwar (Karnataka) and Ganjam (Odisha).

6. The Transferee Company was initially incorporated as "Gwalior Rayon Silk Manufacturing (Weaving) Company Limited" on the 25th day of August, 1947 in the then Gwalior State, pursuant to the provisions of the Gwalior Companies Act (1 of *Samvat* 1963). The name "Gwalior Rayon Silk Manufacturing (Weaving)Company Limited" was subsequently changed to the current name, i.e."Grasim Industries Limited", on the 22nd day of July, 1986. Consequent to the change of name under the provisions of the Companies Act, 1956 (hereinafter referred to as the "Act"), a Fresh Certificate of Incorporation was issued by the Registrar of Companies, Madhya Pradesh, Gwalior. The Transferee Company has its registered office at Birlagram, Nagda, 456331, District Ujjain, Madhya Pradesh. The objects for which the Transferee Company has been established are set out in its Memorandum of Association. The Transferee Company is primarily engaged in the manufacture and sale of viscose staple fibre, chemicals, textiles and cement (through its subsidiary). The Articles and Memorandum of Association along with the last Audited Balance-Sheet of both of the companies, Petitioner and Transferee Company, as on 31st March, 2014 have been filed.

7. The Scheme of Amalgamation has been proposed to consolidate the Chlor-Alkali business of the Aditya Birla Group into the transferee Company in line with the Group's philosophy to unify similar business in one Company, since the petitioner company and Transferee Company are also engaged in business of Chlorin derivatives in a substantial manner. It is considered desirable and expedient to amalgamate the Transferor Company with the Transferee Company in the manner and on the terms

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

and conditions stated in the Scheme. The said amalgamation will also enable better and efficient management, control and running of the business to attain operational efficiencies. Cost competitiveness, create synergies and will be beneficial for capitalising on the growth opportunities to the fullest extent.

8. The scheme of amalgamation has been approved by the Board of Directors of the petitioner and Transferee Company on 11th February, 2015, which has already been filed with the petition.

9. The learned counsel appearing on behalf of the Petitioner Company has further stated that the Transferor Company has complied with all the requirements as per directions of this court and they have filed necessary affidavits of compliance in the Court. Moreover, the petitioner company undertakes to comply with all the statutory requirements, if any, under the Companies Act, 1956 and 2013, and rules made thereunder, whichever is applicable. The said undertaking is accepted.

10. The Regional Director has filed an Affidavit stating therein that the Central Government has decided that the petition/application need not be opposed and the matter may be decided by this Hon'ble High Court on merits. It was also noted from the affidavit that Registrar of Company, Bihar & Jharkhand has submitted their report to the Regional Director.

11. The Official Liquidator has filed his report stating therein that the affairs of the Transferor Company do not appear to have been conducted in a manner prejudicial to the interest of its members or to the public interest as per the second proviso of Section 394(1) of the Companies Act, 1956.

12. No objector has came before the court to oppose the Scheme and nor has any party controverted any averment made in the petitions.

13. From the material on record, the Scheme appears to be fair and reasonable and is not violative of any provisions of law and is not contrary to public policy.

14.Since all the requisite statutory compliance have been fulfilled, Company Petition No. 6 of 2015 filed by the Transferor Company is made absolute in terms of prayer, which are as follows:-

(a) That the scheme being Annexure-1 to the petition be sanctioned by this Hon'ble Court so as to be binding on all the equity shareholders, secured creditors and unsecured creditors

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

of the petitioner company and the Transferee company and other concerned persons.

(b) Order under Section 394 of the Act for amalgamation of the Petitioner Company with the Transferee Company as set out in the scheme, being Annexure-1 of the Company Petition No. 6 of 2015, and that the same shall, without any further act or deed, be amalgamated or deemed to be amalgamated with the Transferee Company as set out in the Scheme.

(c) Order under Section 394 of the Act for transfer of all the assets including the immovable properties to the Transferee Company without any further act or deed on the part of the petitioner company or transferee company

(d) that all the debts, liabilities, duties, obligations and undertakings of the Petitioner/Transferor Company as set out in the Scheme shall, without any further act or deed, be amalgamated in the Transferee Company so as to become the debts, liabilities, duties and obligations of the Transferee company as set out in the Scheme.

(e) Order under Section 394 of the Act that all suits/appeals or other proceedings of whatsoever nature relating to the petitioner/Transferor company pending and/or arising on or before the date on which the Scheme shall finally take effect, be continued and be enforced by or against the Transferee company as effectually as if the same had been pending and/or arising by or against the Transferee company as set out in the Scheme.

(f) order under Section 394 of the Act, that all employees of the petitioner/Transferor company on its payroll as on the effective date, shall become the employees of the Transferee company in accordance with the provisions set out in the scheme and without any breach or interruption of sevice, as set out in the Scheme.

(g) Order under Section 394 of the Act of the dissolution, without winding up of the petitioner transferor company on the effective date, as set out in the scheme

15. The scheme being Annexure 1 of the Company Petition No. 6 of 2015 be read as part of this order.

16. The petitioner company is directed to lodge a copy of this order and the scheme with the concerned Superintendent of

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

Stamps, for purposes of adjudication of stamp duty payable, if any, on the same within 60 days from the date of the order.

17. The petitioner company is directed to file a copy of this order along with a copy of the scheme with the concerned Registrar of Companies, as per relevant provisions of the Companies Act, 1956 and the Companies Act, 2013, and Rules made thereunder whichever are applicable.

18. The petitioner company is directed to pay a cost of Rs.50,000/- to the Regional Director, Eastern Region, Ministry of Corporate Affairs, Kolkata, West Bengal and Rs. 50,000/- to the Official Liquidator, Jharkhand within the four weeks from the date of the order.

19. All concerned regulatory authorities to act on a copy of this order along with scheme. Both the petitions, namely Company Petition No. 5 of 2015 and Company Petition no. 6 of 2015 are accordingly disposed off

sd/- D.N. Patel. J.

Certified to be true copy
16.12.2015
Copying Officer
Authorised under Section ... of the Indian Evidence Act ...
Authorised ... of 1872

The 25th Agrahana, 1937
16/12/15

16/12/15

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

ANNEXURE – 1

SCHEME OF AMALGAMATION

(UNDER SECTIONS 391 TO 394 OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND THE COMPANIES ACT, 2013)

OF

ADITYA BIRLA CHEMICALS (INDIA) LIMITED

WITH

GRASIM INDUSTRIES LIMITED

AND

THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS

This scheme of amalgamation (herein after referred to as the "Scheme") provides for the amalgamation of Aditya Birla Chemicals (India) Limited with Grasim Industries Limited pursuant to provisions of Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956 and other applicable provisions of the Companies Act, 1956 and /or the Companies Act, 2013 (to the extent notified and applicable).

DESCRIPTION OF THE TRANSFEROR AND THE TRANSFEREE COMPANY

Aditya Birla Chemicals (India) Limited is a public company, limited by shares, incorporated under the provisions of the Companies Act 1956, under Corporate Identity No. L24100JH1976PLC001255 and having its registered office at Garhwa Road, P.O.- Rehla, Palamau, Jharkhand 822124 ("Transferor Company") and is *inter alia* engaged in the business of manufacture of Chlor Alkali and allied chemicals. The equity shares of the Transferor Company are listed on BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited.

Grasim Industries Limited is a public company, limited by shares, incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, under Corporate Identity No. L17124MP1947PLC000410 and having its registered office at Birlagram, Nagda, Dist. Ujjain, Madhya Pradesh 456331 ("Transferee Company") and is *inter alia* engaged in the business of manufacture of viscose staple fibre, chemicals and cement (through its subsidiary). The equity shares of the Transferee Company are listed on BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited.

RATIONALE

The rationale for the proposed amalgamation of Aditya Birla Chemicals (India) Limited with Grasim Industries Limited is, *inter alia*, as follows:

(a) The nature of the business of the Transferor Company and the Chemical business of the Transferee Company is similar to each other. It is considered desirable to amalgamate the Transferor Company into the Transferee Company to integrate and consolidate the chemical businesses in a single entity. The combined entity will have geographically diversified manufacturing operations spread across the country. The proposed amalgamation will enable better and efficient management, control and running of the businesses to attain operational efficiencies, cost competitiveness, create synergies and will be beneficial for capitalizing on the growth opportunities to the fullest extent.

Certified to be true:

For Aditya Birla Chemicals (India) Ltd.

(Akesh Mishra)
Company Secretary

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

be considered as third party transactions for all purposes, from the Appointed Date.

8.12 On and from the Effective Date, and thereafter, the Transferee Company shall be entitled to operate all bank accounts of the Transferor Company and realise all monies and complete and enforce all pending contracts and transactions and to accept stock returns and issue credit notes in respect of the Transferor Company in the name of the Transferee Company in so far as may be necessary until the transfer of rights and obligations of the Transferor Company to the Transferee Company under this Scheme have been formally given effect to under such contracts and transactions.

8.13 For avoidance of doubt and without prejudice to the generality of the applicable provisions of the Scheme, it is clarified that with effect from the Effective Date and till such time that the name of the bank accounts of the Transferor Company would be replaced with that of the Transferee Company, the Transferee Company shall be entitled to operate the bank accounts of the Transferor Company in the name of the Transferor Company in so far as may be necessary. All cheques and other negotiable instruments, payment orders received or presented for encashment which are in the name of the Transferor Company after the Effective Date shall be accepted by the bankers of the Transferee Company and credited to the accounts of the Transferee Company, if presented by the Transferee Company. The Transferee Company shall be allowed to maintain bank accounts in the name of the Transferor Company for such time as may be determined to be necessary by the Transferee Company for presentation and deposition of cheques and pay orders that have been issued in the name of the Transferor Company. It is hereby expressly clarified that any legal proceedings by or against the Transferor Company in relation to the cheques and other negotiable instruments, payment orders received or presented for encashment which are in the name of the Transferor Company shall be instituted, or as the case may be, continued by or against the Transferee Company after the coming into effect of the Scheme.

8.14 For avoidance of doubt and without prejudice to the generality of any applicable provisions of this Scheme, it is clarified that in order to ensure the smooth transition and sales of products and inventory of the Transferor Company, manufactured and/or branded and/or labelled and/or packed in the name of the Transferor Company prior to the Effective Date, the Transferee Company shall have the right to own, use, market, sell, exhaust or to in any manner deal with any such products and inventory (including packing material) pertaining to the Transferor Company at manufacturing locations or warehouses or retail stores or elsewhere, without making any modifications whatsoever to such products and/or their branding, packing or labelling. All invoices/payment related documents pertaining to such products and inventory (including packing material) may be raised in the name of the Transferee Company after the Effective Date.

9. PERMITS, CONSENTS AND LICENSES

All the licenses, permits, quotas, approvals, incentives, subsidies, rights, claims, leases, tenancy rights, [illegible], [illegible] allowances, special status and other benefits or privileges enjoyed or conferred upon or held or availed of by and all rights and benefits that have accrued to the Transferor Company, pursuant to the provisions of Section [illegible] of the Act, shall without any further act, instrument or deed, be transferred to and vest in or be deemed to have been transferred to and vested in and be available to the Transferee Company so as to become as and from the Appointed Date, the licenses, assets, rights, title, interests and authorities of the Transferee Company and shall remain valid, effective and enforceable on the same terms and conditions to the extent permissible in law. Upon the Effective Date and until the licenses, permits, quotas, approvals, incentives, subsidies, rights,

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
[illegible]
[illegible]

54

claims, leases, tenancy rights, liberties, rehabilitation schemes, special status etc transferred, vested, recorded effected and or perfected, in the record of the Appropriate Authority, in favor of the Transferee Company, the Transferee Company is authorized to carry on business in the name and style of the Transferor Company and under the relevant license and or permit and / or approval, as the case may be, and the Transferee Company shall keep a record and/or account of such transactions.

5 EMPLOYEES

(a) Upon the Scheme coming into effect and with effect from the Appointed Date, the Transferee Company undertakes to engage all the Employees of the Transferor Company on the same terms and conditions on which they are engaged by the Transferor Company without any interruption of service as a result of the amalgamation of the Transferor Company with the Transferee Company. The Transferee Company agrees that the services of all such employees with the Transferor Company prior to the amalgamation of the Transferor Company with the Transferee Company shall be taken into account for the purposes of all benefits to which the said Employees may be eligible, including for the purpose of payment of any retrenchment compensation, gratuity and other terminal benefits and to this effect the accumulated balances, if any, standing to the credit of the employees in the existing provident fund, gratuity fund and superannuation fund of which they are members will be transferred to such provident fund, gratuity fund and superannuation funds nominated by the Transferee Company and/or such new provident fund, gratuity fund and superannuation fund to be established and caused to be recognized by the Appropriate Authorities, by the Transferee Company. Pending the transfer as aforesaid, the provident fund, gratuity fund and superannuation fund dues of the Employees would be continued to be deposited in the existing provident fund, gratuity fund and superannuation fund respectively of the Transferor Company. It is clarified that upon transfer of the aforesaid funds to the respective funds of the Transferee Company, the existing trusts created for such funds by the Transferor Company shall stand dissolved.

(b) It is clarified that save as expressly provided for in this Scheme, the Employees who become the employees of the Transferee Company by virtue of this Scheme, shall not be entitled to the employment policies and shall not be entitled to avail of any schemes and benefits that may be applicable and available to any of the other employees of the Transferee Company (including the benefits of or under any employee stock option schemes applicable to or covering all or any of the other employees of the Transferee Company), unless otherwise determined by the Transferee Company. The Transferee Company undertakes to continue to abide by any agreement / settlement, if any, entered into or deemed to have been entered into by the Transferor Company with any union / employee of the Transferor Company.

6 LEGAL PROCEEDINGS

6.1 If any suit, cause of actions, appeal or other legal, quasi-judicial, arbitral or other administrative proceedings of whatever nature (hereinafter called "the Proceedings") by or against the Transferor Company be pending on the Effective Date, the same shall not abate, be discontinued or be in any way prejudicially affected by reason of the transfer of the undertaking or of anything contained in the Scheme, but the Proceedings may be continued, prosecuted and enforced by or against the Transferee Company in the same manner and to

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

VIDE 1st COPY

B N SASTRY

Unit Head

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, BENCH AT INDORE

INDORE

ORIGINAL COMPANY JURISDICTION

COMPANY PETITION NO. 13 OF 2015
CONNECTED WITH
COMPANY PETITION NO. 7 OF 2015

In the matter of the Companies Act, 1956;

And

In the matter of Summons for Directions under Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956;

And

In the matter of Scheme of Amalgamation of Aditya Birla Chemicals (India) Limited with Grasim Industries Limited and their respective shareholders and creditors;

And

In the matter of

Grasim Industries Limited

a company incorporated under the Gwalior Companies Act (1 of Samvat 1963) and now deemed to be incorporated under the Companies Act, 1956/2013 as an "existing company" and having its registered office at Birlagram, Nagda - 456 331, District Ujjain, Madhya Pradesh

... Petitioner Company

MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIP

The petitioner above named humbly submits as under:

1. The object of this petition is to seek sanction of this Hon'ble Court to the Scheme of Amalgamation of Aditya Birla Chemicals

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
PO: Renukoot-231217, Distt. Sonbhadra, (U.P.)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT INDORE
(SB: HON. SHRI JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA)

Company Petition No.13/2015

In the matter of the Companies Act of 1956;

AND

In the matter of summons for Directions under Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956;

AND

In the matter of Scheme of Amalgamation of Aditya Birla Chemicals (India) Limited with Grasim Industries Limited and their respective shareholders and creditors;

AND

In the matter of
Grasim Industries Limited ... Petitioner Company

Shri A.K. Chitale, learned senior counsel with Shri B.A. Chitale, learned counsel for the petitioner.
Shri Deepak Rawal, learned counsel for the R.D.

Whether approved for reporting :

ORDER
(Passed on 9th October, 2015)

1/ This petition under Section 391 to 394 of the Companies Act, 1956 has been filed by the petitioner Grasim Industries Limited in the matter of Scheme of Amalgamation of Aditya Birla Chemicals (India) Limited with the petitioner

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

Company and for the approval of the Scheme of Amalgamation in this regard. The registered office of the petitioner-transferee company is located at Birlagram Nagda, District Ujjain within the territorial jurisdiction of this Court, whereas the registered office of the transferor company namely Aditya Birla Chemicals (India) Ltd. is located at Garhwa Road, P.O.-Palamau, Jharkhand and it has been submitted by counsel for the petitioner that the transferor company has filed a separate petition before the Jharkhand High Court.

2/ In the first stage proceedings, this Court vide order dated 22.4.2015 in Company Petition (Application) No.7/2015 had directed the meeting of the equity shareholders, secured creditors and unsecured creditors of the petitioner-Company. The report of the Chairman has been enclosed with the petition disclosing that the shareholders, secured creditors and unsecured creditors have approved the Scheme in the meeting.

3/ In the present petition, this Court vide order dated 6.7.2015 had issued notice to the Registrar of Companies, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Gwalior and Regional Director, Western Region, Ahmedabad and had also directed advertisement of petition in accordance with the Rules in the official gazette of the State and two daily newspapers namely 'Nai Dunia' (Hindi) and 'Free Press' (English) having circulation in Indore. The affidavit of compliance has been filed in the matter.

4/ From the record, it is found that the petitioner-transferee company was incorporated as 'Gwalior-Rayon Silk Manufacturing (Weaving) Company Limited' on 25.8.1947 and its name was subsequently changed to

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

Grasim Industries Limited on 22.7.1988. The company is primarily engaged in the manufacture and sale of viscose staple fibre, chemicals, textiles and cement (through its subsidiary). The Article and Memorandum of Association as also the last audited balance-sheet of the petitioner-Company as on 31.3.2014 has been filed.

5/ So far as the transferor company *Aditya Birla* Chemicals (India) Limited is concerned, it was originally incorporated on 20.7.1976 and its name has subsequently been changed. The transferor company is *inter alia* engaged in the business of manufacture of Chlor Alkali and allied chemicals. The Article and memorandum of association along with the last audited balance-sheet of the transferor company as on 31.3.2014 has been filed.

6/ The Scheme of Amalgamation has been proposed to consolidate the Group's Chlor-Alkali business into the petitioner-Company in line with the Group's philosophy to unify similar business in one company, since the petitioner-Company and transferor company are also engaged in the business of Chlorine derivatives in a substantial manner. The object of amalgamation is to strengthen the petitioner Company's existing portfolio of viscose staple fibre, caustic soda and allied chemicals and to enable the geographical diversification for the petitioner Company.

7/ The scheme of amalgamation has been approved by the Board of Directors of the petitioner as well as transferor company on 11.2.2015. The detailed scheme

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

has been filed as Exhibit 'F'.

8/ - In pursuance to the notice issued by this Court, the Regional Director has filed the report raising certain objections. These objections are decided hereunder :-

A) The Regional Director has raised the objection that the transferee company is listed with the BSE and NSE and, therefore, it is required to comply with various provisions of the Circulars of SEBI and also required to take NOC from SEBI.

An affidavit dated 21.9.2015 has been filed by the petitioner in response to the objection clarifying that the petitioner will comply with the SEBI Circular and in the SEBI Circular dated 4.2.2013 and 21.5.2013, there is no requirement of obtaining the NOC.

In view of this the objection raised by the RD does not survive.

B) The Regional Director has also raised an objection that 3.49% of equity shares of the petitioner-Company are held by the foreign national/NRI/foreign bodies corporates, therefore, the petitioner should disclose about the compliance of FEMA and RBI guidelines.

The petitioner in response thereof has disclosed in the affidavit dated 21.9.2015 that though 3.49% of equity shares are held by the foreign nationals but the Scheme does not involve violation of any provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 or any guidelines of the RBI, therefore, no special

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

permission of RBI is required.

C) The R.D. has also raised an objection that the communication dated 27.7.2015 was sent by the R.D. to Chief Commissioner of Income Tax with a request to give specific comments of the Income Tax Department about the proposed scheme but no reply has been received, therefore, the petitioner should undertake compliance of provisions of the Income Tax Act and Rules.

In this regard, in the reply dated 21.9.2015 the petitioner has disclosed that in terms of the Circular dated 15.1.2014 of the Ministry of Corporate Affairs, if no response is received from the Income Tax Department within 15 days of receipt of notice, it is to be presumed that the Income Tax Department has no objection against the proposed Scheme of Amalgamation under Section 391 to 394 of the Act. That apart, the petitioner has also undertaken to ensure compliance of the provisions of the Income Tax Act.

9/ Apart from the above, no other objection has been raised by the RD. In the report RD has disclosed that there is no other complaint against the petitioner and the R.D. has not received any objection to the Scheme or affidavit opposing this petition, and that the Scheme may be sanctioned.

10/ Having considered the scheme and on perusal of the record and reports, the scheme appears to be fair and

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

reasonable and not opposed to public interest.

11/ Accordingly, the Scheme of Arrangement filed as Exhibit "F" to the petition is hereby approved. The said scheme may be read as part of this order. The petitioner company shall, within 30 days of this order, file with the Registrar of Companies, Madhya Pradesh a certified copy of this order. The sanction of scheme by this order will be subject to the outcome of the petition filed by the transferor Company before the Jharkhand High Court.

12/ The Petitioner Company to pay the cost of Rs.7,500/- to the counsel for Regional Director within four weeks from today.

13/ In view of the foregoing discussion, it is hereby directed that no formal order is required to be drawn up in terms of Rule 37 in Form No.41 and 42. This petition thus stands disposed of as aforesaid.

C.C. as per rules.

(PRAKASH SHRIVASTAVA)
Company Judge

CERTIFIED COPY
13-10-15

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

ADITYA BIRLA
GRASIM

GIL/RKT/2016-17/25

29th May, 2016

To,
Government of India
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Paryavaran Bhawan, CGO Complex
[illegible] Road, New Delhi – 110003

Subject: **Amalgamation of Aditya Birla Chemicals (India) Limited with Grasim Industries Ltd. as per the order of Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi dated 24.11.2015**

Dear Sir,

We would like to invite your attention to the order of Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi dated 24.11.2015 whereby in terms of scheme of amalgamation, Aditya Birla Chemicals (India) Limited having its registered office at Ghanshyam [illegible] Road, P.O. Rehla – 822 124, Dist. Palamau (Jharkhand) will be dissolved without winding up and amalgamated with Grasim Industries Limited having its registered office at Birlagram, Nagda, Dist. Ujjain – 456 331 (M.P.). The effective date of amalgamation is 1st January, 2015. We are enclosing herewith a copy of the order of Hon'ble High Court of Jharkhand for your record and reference.

In this context, we would like to draw your kind attention to Para NO.34 (c) and also [illegible] of the order of the Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi dated 24.11.2015, which states

"*(c) Order under Section 394 of the Act for transfer of all the assets including the immovable properties to the Transferee Company without any further act or deed on the part of the petitioner company or transferee company*"

[illegible] PERMITS, CONSENTS AND LICENSES
All the licenses, permits, quotas, approvals, incentives, subsidies, rights, claims, lease, tenancy rights, liberties, rehabilitation schemes, special status and other benefits or privileges enjoyed or conferred upon or held or availed of by and all rights and benefits that have accrued to the Transferor Company, ... Transferee Company shall keep a record and/or account of such transactions."

Consequent to above change, due to amalgamation as stated above, we would request your goodself to kindly substitute the name of Grasim Industries Limited, Chemical Division Renukoot in place of M/s. Aditya Birla Chemicals (India) Limited,

47

ADITYA BIRLA
GRASIM

Renukoot Chemical Division and update your records under the name of M/s. Grasim Industries Limited, Chemical Division Renukoot.

It may please be noted that both M/s Aditya Birla Chemicals (India) Limited and M/s.Grasim Industries Limited belongs to Aditya Birla Group.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Grasim Industries Limited,
Chemical Division Renukoot

(Authorized Signatory)

Encl.: As above.

CC: Joint Director,
Ministry of Environment, Forest & Climate Change,
[illegible] Floor, Kendriya Bhawan,
Sector "H" Aliganj, Lucknow - 226024

Grasim Industries Limited
Chemical Division Renukoot
P.O. Renukoot - 231 217
Distt. Sonebhadra, U.P. India

Telephone +91 - 5446 - 252044/55/75
Fax +91 - 5446 - 252085

Website www.grasim.com
E-mail [illegible]
CIN [illegible]
PAN [illegible]

48

Regd. Office - Birlagram, Nagda - 456331 M.P. India

अनुलग्नक-1

मै0 कनोरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 के सेल डीड के आधार पर Change of Name in transfer of 325 Acres of forest land एवं Transfer of lease of 3.79 Hectare of forest land के निस्तारण से सम्बन्धी प्रकरण में विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित संलग्न है।

1. श्री अनुपम गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2. श्री आर0सी0 झा, मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर।
3. श्री एम0के0 पण्डा, ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट।
4. श्री आकाश मिश्रा, ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट।
5. डा0 अखिलेन्द्र मौर्य, ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट।
6. श्री उत्कर्ष रघुवंशी, आदित्या बिड़ला ग्रुप।
7. श्री सुरेश सी. झा, ज्वाइण्ट प्रेसिडेन्ट।

2– बैठक में मै0 कनौरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को सेल डीड के आधार पर हस्तान्तरित 325 एकड़ वनभूमि को पूर्व में आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि0 तथा मै0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा गैरवानिकी प्रयोग हेतु 25 वर्ष की ल[illegible] सम्बन्ध में नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर द्वारा अवग[illegible] शासन के पत्र दिनांक 20.03.2018 के क्रम में बिन्दुवार आख्या मुख्य वन सं[illegible] पत्र दिनांक 11.10.2019 द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। बिन्दुवार आख्या प[illegible] गयी। यह भी संज्ञान में आया कि Government Grant Act 1895 वर्ष 2018 में Repeal हो चुका है।

बैठक में मत स्थिर किया गया कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर के पत्र दिनांक 11.10.2019 में उपलब्ध करायी गई आख्या के बिन्दु संख्या–3 व 6 पर आख्या पूर्ण नहीं है। वर्तमान में प्रभावी अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–3 व 6 के सम्बन्ध में सुविचारित आख्या/प्रस्ताव नोडल अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति सहित प्राप्त की जाय। तदोपरान्त पत्रावली [illegible] न्याय विभाग को सन्दर्भित की जाय।

(कार्यवाही–नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर/प्रयोक्ता एजेन्सी)

3– मै0 कनौरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रासमिशन लाइन हेतु 3.79 है0 वनभूमि का मै0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 रेनुकूट के पक्ष में 25 वर्षों हेतु लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी। मै0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट के उपस्थित प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि प्रश्नगत

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)

S. N. Sastry
Authorised Signatory

Scanned with CamScanner

-2-

प्रकरण के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव वर्ष 2011 में प्रस्तुत कर दिया गया। प्रयोक्ता एजेन्सी में परिवर्तन हो चुका है।

नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2011 में प्रस्तुत प्रस्ताव भी उपरोक्त की श्रेणी में था। शासन में प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त पत्र दिनांक 13.05.2020 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आख्या मांगी गई। उक्त के क्रम में मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर के पत्र दिनांक 08.08.2020 द्वारा आख्या नोडल अधिकारी के माध्यम से शासन में प्राप्त हुई। बैठक में प्रस्तुत अभिलेखों में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

बैठक में यह मत स्थिर किया गया कि प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 की (गाइड लाइन एवं क्लेरिफिकेशन) के चैप्टर-5 के प्रस्तर-1.2 एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के अनुसार प्रकरण का परीक्षण कर Ex-Post Facto के अन्तर्गत प्रस्ताव उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही-नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर/प्रयोक्ता एजेन्सी)

बैठक धन्यवाद सम्पन्न हुई।

आशीष तिवारी
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2
संख्या-219/81-2-2021-800(26)/2017
लखनऊ, दिनांक 05 फरवरी, 2021

उपर्युक्त कार्यवृत्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अरुण पी0 सिंह)
अनु सचिव

(31)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक-- 1640 /11-सी, लखनऊ, दिनांकः फरवरी 12 ,2021

प्रतिलिपि-- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में उ0प्र0 शासन के उपरोक्त निर्देशानुसार वांछित सूचना/प्रस्ताव इस कार्यालय को तीन-तीन प्रतियों में संस्तुति सहित प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि-- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में उ0प्र0 शासन के उपरोक्त निर्देशानुसार वांछित सूचना/प्रस्ताव इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन-तीन प्रतियों में संस्तुति सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-- महाप्रबंधक, मे0 ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रभागीय वनाधिकारी

(Chemical Division Renukoot)

Scanned with CamScanner

Appendix 7
संलग्नक-10

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– /रेनुकूट /15–37 दिनांक, रेनुकूट, 04-06- ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत मै. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 3.79 हे. वन भूमि को पूर्व में आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि0 तथा वर्तमान में मै0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी उपयोग हेतु करते हुए प्रस्तुत किये गये ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– **FP/UP/Others/19811/2016** के संबंध में

संदर्भ:–
1–विशेष सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक– 03.02.2021 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त संबंधी उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– 219/81–2–2021–800(26)/2017 लखनऊ दिनांक– 05.02.2021
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 1990/11–सी, लखनऊ दिनांक– 12.02.2021
3–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक– 3435/मी0/33 दिनांक– 12.02.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक– 05.02.2021 द्वारा यह निर्देशित किया गया कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्ष... एवं क्लीरिफिकेशन) के चैप्टर–5 के प्रस्तर– 5.2 एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक– 29.0... कर Ex-Post Facto के अन्तर्गत प्रस्ताव उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाय ।

यहाँ यह उल्लेख करना है कि संस्थान द्वारा भारत सरकार के परिवेश पोर्टल प... लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/19811/2016 को उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार सं... किया गया, जिसे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव की हार्ड कापी प्रस्तुत करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को अवगत कराया गया । उक्त निर्देशो के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्षण) नियमावली 2003 की (गाइड लाइन एवं क्लीरिफिकेशन) के चैप्टर–5 के प्रस्तर– 5.2 एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक– 29.01.2018 के अनुसार Ex-Post Facto के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ।

संस्थान द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखो का परीक्षणोपरान्त 3.79 हे0 वन भूमि के मै0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव की चार प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र

संख्या– 3859 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि : श्री एस0एन0शास्त्री, अधिकृत्त प्रतिनिधि , मै0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को उनके पत्रांक– 01 दिनांक– 18.04.2022 के क्रम मे सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र

अनुलग्नक-11

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:- 399 /11-सी-FP/UP/Others/19811/2016, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 29 ,2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र मे रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अंतर्गत मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 3.79 हे0 आरक्षित वनभूमि को पूर्व मे आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 तथा वर्तमान में मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी उपयोग करने हेतु 25 वर्षों (दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2038 तक) की लीज नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट की संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्नांकित अभिलेखों सहित प्रस्ताव की दो मूल प्रतियाँ इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है, कि कृपया विषयांकित प्रयोजन हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के धारा-2 के अन्तर्गत आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

1. प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट संलग्न है।
2. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है।
3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
4. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है।
5. परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश संलग्न है।
6. मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता संलग्न है।
7. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है।
8. प्रस्तावित वनभूमि का सत्यापित Geo Referenced Digital Map पेनड्राइव सहित संलग्न है।
9. प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है।
10. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित अवनत वनभूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट एवं Geo Referenced Digital Map पेनड्राइव सहित संलग्न है।
11. प्रस्ताव में प्रभावित आरक्षित वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है।
12. उल्लंघन के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है।
13. प्रस्ताव में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
14. वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र प्रस्ताव में सम्मिलित न होने के सम्बन्ध मे प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
15. गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।
16. वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है।
17. On line data entry का Time Line Detail संलग्न है।

संलग्नक:-यथोक्त (पेन ड्राइव सहित)।

(अनु
मुख्य वन संरक्षक ... अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:- 399 /11-सी-FP/UP/Others/19811/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
3. अधिकृत प्रतिनिधि, मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-879

ADITYA BIRLA

CHEMICALS

दिनांक–11.05.2011

सेवा में,

[illegible]

विषय :- [illegible]

महोदय,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भवदीय

[illegible]

प्रबंध निदेशक

[illegible] आदित्य बिरला कैमिकल्स (इण्डिया) लि.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

11-5-2011

ADITYA BIRLA CHEMICALS (INDIA) LIMITED

(Formerly Bihar Caustic & Chemicals Limited)

Regd. Office & Works: GARHWA ROAD, REHLA - 822 124 DIST. PALAMAU (JHARKHAND)

PH: +91 6584 [illegible] FAX +91 6584 [illegible] E-MAIL: [illegible]@adityabirla.com

ADITYA BIRLA
CHEMICALS

सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के आदेश संख्या– 08वी/09/324/92 एफ.सी. –सी. –407 दिनांक– 23.05.1995 एवं उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या– जी.आई. –159/14–2–95–503/1961 दिनांक– 16 जनवरी 1995 द्वारा मै. कानोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को 3.79 है. वन भूमि 25 वर्ष हेतु लीज पर दी गयी है । इस संबंध मे दिनांक– 16.04.2011 को मै. कानोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट एवं मै. आदित्य बिरला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट केमिकल डिवीजन, रेनुकूट के मध्य विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मै. कानोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., रेनुकूट से संबंधित समस्त सम्पत्ति मै. आदित्य बिरला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट केमिकल डिवीजन रेनुकूट को बिक्री के आधार पर दे दिया जाय । उक्त वन भूमि के लीज हस्तान्तरण मे भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी शर्ते पूर्व मे लगायी गयी है या वर्तमान मे लगायी जायेंगी, उसका अनुपालन मै. आदित्य बिरला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट केमिकल डिवीजन रेनुकूट द्वारा किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता है ।

एस.एस.गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक
निमित, आदित्य बिरला केमिकल्स (इण्डिया) लि.

ADITYA BIRLA CHEMICALS (INDIA) LIMITED
(formerly : Bihar Caustic & Chemicals Limited)
Regd. Office & Works: GARHWA ROAD, REHLA : 822 124 DIST : PALAMAU (JHARKHAND)
PH : +91 6584 262211/221/488 FAX +91 6584 262205 E-MAIL: abcil@adityabirla.com

KANORIA CHEMICALS & INDUSTRIES LIMITED
(RENUKOOT CHEMICAL WORKS DIVISION)
P. O. Renukoot-231 217 Distt. Sonebhadra (U. P.) India
Tel.: (05446) 252044, 252055, 252075 Fax: (05446) 252088
E-mail: renukoot@kanoriachem.com

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के आदेश संख्या-- 08बी/09/324/92 एफ.सी --सी --407 दिनांक-- 23.05.1995 एवं उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या-- जी.आई --159/14-2-95-503/1961 दिनांक-- 16 जनवरी 1996 द्वारा मै. कानोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को 3.79 है. वन भूमि 25 वर्ष हेतु लीज पर दी गयी है । इस संबंध मे दिनांक-- 16.04.2011 को मै. कानोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट एवं मै. आदित्य बिरला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट के मध्य विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मै. कानोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट से संबंधित समस्त सम्पत्ति मै. आदित्य बिरला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट केमिकल डिवीजन रेनुकूट को बिक्री के आधार पर दे दिया जाय । इस संबंध मे मै. आदित्य बिरला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट केमिकल डिवीजन रेनुकूट को सम्पत्ति(लीज) के हस्तान्तरण मे कोई आपत्ति नही है ।

जे. पी. सोनथलिया
प्रबन्ध निदेशक
निमित्त, मै. कानोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.
रेनुकूट-सोनभद्र

61

fil.

प्रेषक,

उप निदेशक कारखाना, उ0प्र0,
9 शिवराम दास गुलाटी मार्ग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

श्री श्याम सुन्दर बुध्दालाल गुप्ता
अधिष्ठाता/मैनेजिंग डाइरेक्टर
मै0 आदित्य बिरला केमिकल्स [इण्डिया] लि0,
पो0 रेनुकूट, सोनभद्र।

प0सं0 862 एफ/लाई0/एमपीआर-64 दिनांक 24-06-2011

महोदय,

कृपया आप अपने पत्रांक सं0 एबीसीआइएल/पीएचआर/एफ-84/06/11/01 दि.21/6/2011 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कारखाना मै0 कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 पो0 रेनुकूट सोनभद्र का नाम दि.24 मई 2011 से परिवर्तित होकर आदित्य बिरला केमिकल्स [इण्डिया] लि0, हो गया है, तदनुसार कारखाने के नाम परिवर्तित करते हुए, इस पत्र के साथ लाइसेंस प्रपत्र-3 संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आप इस कार्यालय के पत्रसं0 355 एफ/लाई0 दि.21/5/2011 में निहित प्राविधानों के अनुसार अगले वर्ष के लिए लाइसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र मय संलग्नकों सहित निश्चित समय में भेजेंगे अन्यथा आपको निर्धारित शुल्क का 25% विलम्ब शुल्क देय होगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार लाइसेंस प्रपत्र-3 [एमपीआर-64] मूल प्रति

भवदीय

[आर0 एस0 माथुर]
उप निदेशक कारखाना, उ0प्र0,
इलाहाबाद सम्भाग, इलाहाबाद

009260

LICENCE UNDER SECTION 6 OF THE FACTORIES ACT, 1948

FORM No. 3

[RULE 7 (1)]

In continuation of ... license no. MPR-64 dated 2/3/2001 enforced from 3/4/... renewed upto 31/12/...

(Registration and Licence to Work a Factory)

Registration No. MPR-64 Fee Rs. 24000=00

Serial No. 64

Licence is hereby granted to श्री टी० डी० चेट्टी, डायरेक्टर valid only for the premises described below for use as a factory employing not more than 1000 persons on any one day during the year and using motive power not exceeding 2000 H. P. subject to the provisions of the Factories Act, 1948, and the rules made thereunder.

This licence shall remain in force till 31-12-2007 unless further renewed.

Director of Factories, U. P.

The 2.4.2007 199

... 1322 ... शर्तों के अधीन नवीनीकृत

Description of the Licensed Premises

5124 एफ/रिवा/सम 10/10/2005
... 4/6/2004
4681 एफ/रिवा/सम 13/12/2000
313 ... 16/11/2000
...
531 ...

The licensed Premises shown on plan no. ... dated 27/4/... and consist of are situated in मेसर्स कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्ड० लि०, पो० रेनुकूट जिला सोनभद्र

परिवर्तित नाम:- मै० आदित्य बिरला केमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड

Date of renewal 1	Date of expiry 2	Fee 3	Signature of Licensing Authority 4
1 जनवरी 2008	31 दिसम्बर 2008	Rs 24000=00	निदेशक कारखाना उ० प्र०
इस कार्यालय के पत्र सं० ... दिनांक ... द्वारा	1771 ... एफ/रवि० शर्तों के अधीन नवीनीकृत		
1 जनवरी 2009	31 दिसम्बर 2009	24000=00	निदेशक कारखाना उ० प्र०
... 06-2009	5460 ...		
1 जनवरी 2010	31 दिसम्बर 2010	24000=00	निदेशक कारखाना उ० प्र०
इस कार्यालय के पत्र सं० ... दिनांक 27/3/10 द्वारा	4150 एफ/रवि० शर्तों के अधीन नवीनीकृत		
1 जनवरी 2011	31 दिसम्बर 2011	Rs 24000/=	उप निदेशक कारखाना उ० प्र० इलाहाबाद सम्भाग, इलाहाबाद

Printed at Government Press, U. P., Allahabad.

PSUP—6 Karkhana—6-11-'99 Misc. Form no. 250-R—300.

Charge Rs ...

... hereby transferred

Kailash Chandra Jhanwar

w.e.f. 01-03-2014 to run the factory

as occupier

...

Shailendra K. Jain

09-03-2016

Dilip Gaur

w.e.f. ... 2016 ... occupier

as occupier

...

कार्यालय जिलाधिकारी सोनभद्र ।

पत्रांक- ११५ /सात-भूलेख/एन ओ सी/2022 दिनांक- 06 जून 2022

विषय-जनपद- सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अंतर्गत ग्वालियर कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि.रेनुकूट के पंप हाउस पाइप लाइन एंड ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन हेतु लीज पर हस्तांतरित 3.79 है0 वन भूमि को पूर्व में आदित्य बिरला कैमिकल्स (इण्डिया) लि0 तथा वर्तमान में मे0 ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी उपयोग हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/19811/2016 प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में ।

ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
कैमिकल डिवीजन रेनुकूट
सोनभद्र ।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-02 दिनांक-18.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने के कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद- सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अंतर्गत ग्वालियर कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि.रेनुकूट के पंप हाउस पाइप लाइन एंड ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन हेतु लीज पर हस्तांतरित 3.79 है0 वन भूमि को पूर्व में आदित्य बिरला कैमिकल्स (इण्डिया) लि0 तथा वर्तमान में मे0 ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी उपयोग हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/19811/2016 प्रस्तुत किये जाने हेतु वन अधिकार अधिनियम के तहत कोई पट्टा जारी न होने का प्रमाण पत्र प्रदत्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है ।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपजिलाधिकारी दुद्धी एवं प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग रेनुकूट की आख्यानुसार प्रश्नगत प्रकरण से आच्छादित रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अंतर्गत मुर्धवा वन ब्लाक कम्पार्टमेंट नंबर- 13 की 3.79 है0 वन भूमि में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत किसी को कोई भी पट्टा आवंटित नहीं किया गया है और न ही किसी का कोई दावा/अपील ही विचाराधीन है ।

अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

(चन्द्र विजय सिंह)
जिलाधिकारी
सोनभद्र ।

जिलाधिकारी
सोनभद्र

File No. J-11011/284/2006-IA-II-(I)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Impact Assessment Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Jorbag Road,
New Delhi -110003.

Date: 28th November, 2022

To

M/s Grasim Industries Limited,
Grasim Industries Limited (Chemical Division, Renukoot),
PO Renukoot,
Sonbhadra, Uttar Pradesh-231217.
E-mail: vinay.v@adityabirla.com

SUB.: Expansion of Membrane Cell Technology Based Caustic Soda Plant from 255 TPD to 365 TPD (110 TPD) at Renukoot, Sonebhadra, U.P. - *Transfer of EC from M/s Kanoria Chemicals & Industries Limited to M/s Grasim Industries Limited*

Sir/Madam,

1. This has reference to your online proposal No. **IA/UP/IND3/267961/2022,** dated 11.10.2022 regarding transfer of Environmental Clearance (EC) from M/s Kanoria Chemicals & Industries Limited to M/s Grasim Industries Limited.

2. The Ministry had granted EC vide letter No. J-11011/284/2006-IA-II-(I) dated 21.05.2007 for Expansion of Membrane Cell Technology Based Caustic Soda Plant from 255 TPD to 365 TPD (110 TPD) at Renukoot, Sonebhadra, U.P. to M/s Kanoria Chemicals & Industries Limited. M/s Kanoria Chemicals & Industries Limited submitted the No Objection for transfer of EC and M/s Grasim Industries Limited has given Undertaking for compliance of terms and conditions of EC.

3. In view of the above, as per the relevant provisions of the EIA Notification, 2006 (as amended), the environmental clearance granted vide letter No. J-11011/284/2006-IA-II-(I) dated 21.05.2007 for Expansion of Membrane Cell Technology Based Caustic Soda Plant from 255 TPD to 365 TPD (110 TPD) at Renukoot, Sonebhadra, U.P., is hereby transferred from M/s **Kanoria Chemicals & Industries Limited to M/s Grasim Industries Limited** on the same terms and conditions under which prior environmental clearance was granted, and for the same validity period.

This issues with approval of the competent authority.

Ramesh
(Dr. M. Ramesh)
Scientist 'E'

Copy to: -

1. The Deputy Director General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Integrated Regional Office, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow – 226020.
2. The Principal Chief Conservator of Forests (PCCF), 17, Rana Pratap Marg, Lucknow, (U.P.), 226001.

3. The Member Secretary, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi - 32
4. The Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Building No. TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow-226 010
5. The Member Secretary, Central Ground Water Authority, Jamnagar House, 18/11, Man Singh Road Area, New Delhi 110001
6. The District Collector, Sonebhadra District, Uttar Pradesh
7. Guard File/Monitoring File/PARIVESH

Ramesh

(Dr. M. Ramesh)
Scientist 'E'
Tel: 011-20819249
Email: ramesh.motipalli@nic.in

The Member Secretary, Central Ground Water Authority, Jamnagar House, 18/11, Man Singh Road Area, New Delhi 110001

Annexure - 2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट(सोनभद्र) ।
पत्रांक–१०११-/रेनुकूट/ 15 दिनांक,रेनुकूट,मई– 12 – 2011
सेवा में,

श्री एस.एस.गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक
आदित्य बिरला केमिकल्स(इण्डिया) लि.
गढ़वा रोड रेहला
झारखण्ड ।

विषय:– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग में कानोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट 3.79 है. वन भूमि पाइप हाउस, वाईन लाईन ओवर हेड ट्रांसमिशन लाईन के लिए लीज पर गयी वन भूमि को मे. आदित्य बिरला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट केमिकल डिवीजन रेनुकूट को हस्तान्तरण करने के संबंध में ।

सन्दर्भ – आपका पत्र दिनांक–11.05.2011

महोदय,

सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि तत्कालीन सचिव उ.प्र. शासन की आदेश संख्या- 5874/14–बी–503/81 दिनांक- 23.11.1982 द्वारा मे. कानोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को 325 एकड़ वन भूमि कतिपय शर्तों के अधीन लीज डीड के आधार पर एवं भारत सरकार के आदेश संख्या 08बी/09/324/92/एफ.सी. 407 दिनांक–23.05.1995 व उ.प्र. सरकार के आदेश संख्या–बी.आ. 159/14–2–95–503/1981 दिनांक–16 जनवरी 1996 द्वारा 3.79 है. वन भूमि कतिपय शर्तों के अधीन 25 वर्ष लीज पर हस्तान्तरित किया गया है । लीज डीड एवं लीज की शर्तों के अनुसार वन भूमि बिना शासन की अनुमति के किसी को भी हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है, तथा इस वन भूमि पर वर्तमान में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान आकर्षित होते है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में शासन एवं भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बनाकर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

भवदीय

(आशीष तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या–१०११–अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि मे. आदित्य बिरला केमिकल्स(इण्डिया) लि. द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने में तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

१. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, 17 राणा प्रताप मार्ग उ.प्र. लखनऊ ।
२. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर ।

(आशीष तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट

ADITYA BIRLA
CHEMICALS

पत्रांकः.ए.बी.सी.आइ.एल/ 40

दिनांक- 30-03-2012

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट
जिला-सोनभद्र ।

विषयः- जनपद-सोनभद्र में मे. कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु 3.79 हे. वन भूमि का मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट के पक्ष में 25 वर्षों हेतु नवीनीकरण किया जाना ।

संदर्भः- 1.भारत सरकार के पत्र संख्या- 08बी/09/324/92/एफ.सी.-सी-407, दिनांक- 23.05.1995
2.अनु सचिव उ.प्र. शासन का आदेश संख्या- जी.आई. 159/14-2-95-503/1961 लखनउ दिनांक- 16 जनवरी, 1996

महोदय,

संदर्भित पत्र के माध्यम से जनपद-सोनभद्र में मे. कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु 3.79 हे. वन भूमि 25 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण की अनुमति प्रदान की गयी थी जिसकी लीज अवधि दिनांक- 31.03.2013 को समाप्त होने वाली है । दिनांक-16.04.2011 को मे. कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट एवं मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. के मध्य विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि, मे. कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट से संबंधित समस्त सम्पत्ति मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. को उक्त प्रयोजन हेतु हस्तान्तरण के आधार पर दे दिया जाय । उक्त के परिणामस्वरुप मे. कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को लीज पर दी गयी 3.79 हे. वन भूमि का उपयोग अब मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट द्वारा उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा । तत्क्रम में मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट द्वारा 25 वर्षों के लीज पर नवीनीकरण करने हेतु यह नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न नवीनीकरण प्रस्ताव को अपनी संस्तुति सहित उच्च स्तर पर प्रेषित करते हुए नवीनीकरण कराने की कृपा करें ।

भवदीय,
कृते आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि.

(वी.आर.अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

30-03-12

संलग्नक प्रस्ताव 6 प्रति

ADITYA BIRLA CHEMICALS (INDIA) LIMITED
RENUKOOT CHEMICAL DIVISION
P. O. Renukoot 231 217, Dist. : Sonebhadra (U.P.) INDIA
PH. : 05446-252044/55/75, FAX : 05446-252088, E-mail : abcil.renukoot@adityabirla.com
Regd. Office : GARHWA ROAD, REHLA : 822 124, DIST. PALAMAU, (JHARKHAND) INDIA

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट(सोनभद्र) । Annexure-'20'

पत्रांक- /रेनुकूट/ 15 दिनांक,रेनुकूट,मार्च- 31- 2012

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय- जनपद-सोनभद्र मे कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु 3.79 हे. वन भूमि का मे. आदित्य बिडला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट के पक्ष मे 25 वर्षो हेतु नवीनीकरण किया जाना ।

सदर्भ- 1 भारत सरकार के पत्र संख्या- 08बी/09/324/92/एफ.सी.सी-407 दिनांक- 23.05.1995
2. अनु सचिव उ.प्र. शासन का आदेश संख्या- जी.आई 159/14-2-95-503/1961 लखनऊ दिनांक- 16 जनवरी 1996

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत मे कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन हेतु 3.79 हे. वन भूमि 25 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी । जिसकी लीज अवधि दिनांक- 31.03.2013 को समाप्त हो रही है । दिनांक- 16.04.2011 को मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट एवं मे. आदित्य बिडला केमिकल्स (इण्डिया) लि. के मध्य विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट से संबंधित समस्त सम्पत्ति मे. आदित्य बिडला केमिकल्स(इण्डिया) लि. रेनुकूट को उक्त प्रयोजन हेतु बिक्री/हस्तान्तरण के आधार पर दे दिया जाय । उक्त के परिणामस्वरूप मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को लीज पर दी गयी उक्त 3.79 हे. वन भूमि का समान प्रयोजन हेतु उपयोग अब मे. आदित्य बिडला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट द्वारा किया जायेगा । तत्क्रम मे मे. आदित्य बिडला केमिकल्स(इण्डिया) लि. रेनुकूट ने अपने पत्र संख्या- ए.बी.सी.आई.एल./40 दिनांक- 30.03.2012 के माध्यम से 25 वर्षो के नवीनीकरण मे. आदित्य बिडला केमिकल्स(इण्डिया) लि. रेनुकूट के पक्ष मे करने हेतु नवीनीकरण प्रस्ताव इस कार्यालय मे दिनांक- 30.03.2012 को प्रस्तुत किया है । नवीनीकरण प्रस्ताव की जाँच क्षेत्रीय वन अधिकारी पिपरी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी पिपरी से कराते हुए प्रस्ताव की 4 प्रतियो इस पत्र के साथ संस्तुति सहित संलग्न करते हुए प्रेषित है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि सलग्न नवीनीकरण प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणी अंकित करते हुए मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ के माध्यम से शासन की सेवा मे प्रेषित करने की कृपा करे

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार 4 प्रतियो मे ।

भवदीय

(आशीष तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या- 3529 -अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रबन्ध निदेशक, आदित्य बिडला केमिकल्स(इण्डिया) लि. रेनुकूट केमिकल डिवीजन रेनुकूट सोनभद्र को उनके पत्र संख्या- ए.बी.सी.आई.एल./40 दिनांक- 30.03.20912 के क्रम मे ।
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिपरी
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी पिपरी ।

(आशीष तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

54

Annexure-'21'

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक- /मीरजापुर/33 दिनांक, मीरजापुर, अप्रैल, 09 2012

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ ।

विषय- जनपद सोनभद्र में मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट को पम्प हाउस पाईप लाइन एवं ओवर हेड ट्रासमिशन लाइन हेतु 3.79 हे0 वन भूमि का मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 रेनुकूट के पक्ष में 25 वर्षो हेतु नवीनीकरण किया जाना ।

सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट का पत्र संख्या- 3587/रेनुकूट/15 दिनांक 31.03.2012 ।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-08बी/09/324/92 एफ0सी0सी0-407, दिनांक 23.05.1995 तथा अनु0 सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-जी0आई0 159/14-2-95-503/1961, दिनांक 16.01.1996 के माध्यम से रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट को पम्प हाउस, पाईप लाइन एव ओवर हेड, ट्रासमिशन हेतु 3.79 हे0 वन भूमि 25 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी, जिसकी अवधि दिनाक 31.03.2013 को समाप्त हो रही है। दिनाक 16.04.2011 को मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट एवं मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 रेनुकूट को उक्त प्रयोजन हेतु बिक्री/हस्तान्तरण के आधार पर दे दिया जाय। उक्त के परिणाम स्वरूप मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट को लीज पर दी गयी उक्त 3.79 हे0 वन भूमि का समान प्रयोजन हेतु उपयोग अब मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0, रेनुकूट ने अपने पत्र संख्या- ए0बी0सी0आई0एल0/40, दिनांक 30.03.2012 के माध्यम से 25 वर्षो के नवीनीकरण मे आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0, रेनुकूट के पक्ष में करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा नवीनीकरण प्रस्ताव 04 प्रतियो मे मय संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है।

अतः प्रश्नगत मामले की नवीनीकरण प्रस्ताव 03 प्रतियो मे मय संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणी अंकित करते हुए शासन की सेवा में प्रेषित करने की कृपा करें ।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(एस0के0शर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या 5619 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एस0के0शर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

D:\Setelment\setelment drafting\saptahiki.doc

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक— / 11—सी—717 दिनांक, लखनऊ, मई 9 2012

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन)
उ0प्र0 शासन,
वन अनुभाग—2,
लखनऊ।

विषय— मै0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, रेनूकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु 3.79 है0 वन भूमि का मै0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 रेनूकूट के पक्ष में 25 वर्षों हेतु लीज का नवीनीकरण किया जाना।

महोदय,

जनपद सोनभद्र के रेनूकूट वन प्रभाग में कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, रेनूकूट को पम्प हाउस पाईप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाइन हेतु 3.79 है0 वन भूमि सहायक सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की पत्र संख्या—1252/14—बी—505/61, दिनांक20.04.64 द्वारा दिनांक 01.04.63 से 31.03.88 तक 25 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 20.04.70 को सचिव वन विभाग एवं मै0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनूकूट के मध्य लीज डीड का निष्पादन हो चुका है, जिसकी छाया प्रति वर्तमान नवीनीकरण प्रस्ताव के संलग्नक—13 पर है।

उक्त लीज की अवधि समाप्त हो जाने पर प्रयोक्ता द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त लीज नवीनीकरण हेतु स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार ने दिनांक 23.05.95 को प्रदान कर दी, जिसकी अवधि 31.03.13 तक को निश्चित की गई (वर्तमान संलग्न प्रस्ताव का संलग्नक—1)। उक्त स्वीकृति के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आदेश संख्या जी0आई0—159/14—2—95—503/1961, दिनांक 16.01.96 द्वारा विभिन्न 9 शर्तों के अन्तर्गत स्वीकृति/नोटिफिकेशन जारी की गई (वर्तमान संलग्न प्रस्ताव का संलग्नक—2)।

उक्त स्वीकृतियों में अध्यारोपित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता द्वारा किया गया है (वर्तमान संलग्न प्रस्ताव का संलग्नक—7)।

प्रयोक्ता द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये लीज डीड का विलेख विधिक्षण हेतु इस कार्यालय की पत्र संख्या—890/11—सी—70(सोनभद्र) दिनांक 29.09.98 एवं पत्रांक—6005/11—सी—70, दिनांक 01.06.2000 (फोटो प्रतियां संलग्न) द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है। प्रभागीय वनाधिकारी, रेनूकूट द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता द्वारा दिनांक 01.04.88 से 31.03.13 तक के लिए निर्धारित/प्रस्तावित लीज रेन्ट की धनराशि/प्रयोक्ता द्वारा नियमित रूप से जमा करा दी गई है।

क्रमशः—2

(9)

दिनांक 16.04.11 को मे0 कनौरिया केमिकल्स लि0 रेनूकूट द्वारा विषयगत वन भूमि मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 को उसी प्रयोजन हेतु बिक्री/हस्तान्तरण के आधार पर दे दी गई, जिसके कारण उसी प्रयोजन हेतु लीज पर दी गई वन भूमि जिसकी लीज अवधि 31.03.13 को समाप्त हो रही है, के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त के सम्बन्ध मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अध्याय–2 के बिन्दु संख्या–2.8 मे निहित प्रविधानो के अन्तर्गत मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 रेनूकूट के 25 वर्षो हेतु लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव दो प्रतियो में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयांकित लीज नवीनीकरण हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रस्ताव निम्न अभिलेखो के साथ प्रेषित किया जा रहा है:–

1– मानक शर्तो के मान्य होने की वचनबद्धता संलग्न है।

2– एन0पी0वी0 जमा किये जाने के वचनबद्धता संलग्न है।

3– क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है।

4– संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है।

5– जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि की वर्तमान दरो का प्रमाण–पत्र संलग्न है।

6– पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है।

7– वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है।

8– परियोजना सम्बन्धित मानचित्र संलग्न है।

9– मेमोरेण्डम एवं आर्टिकल आफ एसोसियेशन संलग्न है।

10– वन भूमि से सम्बन्धित बियरिंग चार्ट संलग्न है।

संलग्नकः–यथोवत (प्रस्ताव की दो प्रति)।

भवदीय

(ए0के0द्विवेदी)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–2301 / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर।

2– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट, सोनभद्र।

3– श्री अविनाश राय, महा प्रबन्धक, कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 1/115 विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

4– मैनेजिंग डायरेक्टर, आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 रेनूकूट, सोनभद्र।

(ए0के0द्विवेदी)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

HANDBOOK

OF

Forest (Conservation) Act, 1980

(With Amendments made in 1988)

Forest (Conservation) Rules, 2003

(With Amendments made in 2004)

Guidelines & Clarifications

(Up to June, 2004)

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Environment & Forests, New Delhi

and other people who may have to be shifted from the core zone of a national park or reserve.

2.8 Transfer of Lease. –

Where transfer of lease on forest land, from one user agency to another for the same purpose for which the forest land was diverted, becomes necessary, prior permission of the Central Government would be required. For this purpose, the State Government and the original user agency is required to submit no-objection certificate for such transfer and, the new user agency has to submit an undertaking that they shall abide by all the conditions on which the forest land was leased to the original user agency and any other condition which may be stipulated by the Central Government/State Government in future.

2.9 Participation of private sector through involvement of NGOs & Forest Department in afforestation/rehabilitation of degraded forests. –

Detailed guidelines issued in this regard vide this Ministry's letter No. 8-21/96-FC dated 07.07.1999 shall be strictly followed. These are included in Annexure VIII.

2.10 Cluster mining. –

Detailed guidelines issued in this regard vide this Ministry's letter No. 11-8/2001-FC dated 15.11.2001 shall be strictly followed. These are included in Annexure IX.

F. No. 5-2/2017- FC
Government of India
Ministry of Environment, forests and Climate Change
(FC Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bag Road,
New Delhi - 110003.

Dated: 28th March, 2019

To,

The Principal Secretary/Secretary (Forests),
All State/UT Governments.

Sub: Handbook of guidelines for effective and transparent implementation of the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980.

Sir,

In supersession of all guidelines issued in the past, a handbook of guidelines is issued for effective and transparent implementation of the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980. All the provisions enshrined in these guidelines will be applicable from 8th March 2019 onwards. The copy of comprehensive guidelines is available on Ministry's website: www.parivesh.nic.in.

This issue with the approval of competent authority.

Yours faithfully,

(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forest (FC)

Copy to:

1. Prime Minister's Office, New Delhi.
2. Secretary, Ministry of Mines/Coal/Steel/MoRTH/MoPNG/MHA/MoP/MoTA, Government of India, New Delhi.
3. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments.
4. Nodal Officer (FCA), all State/ UT Governments.
5. All Regional Offices, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), GoI, New Delhi.
6. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF&CC, GoI, New Delhi.
7. All IGF/ DIGF/AIGF in MoEF&CC, GoI, New Delhi.
8. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF&CC with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
9. PPS to Secretary (EF&CC)/DGF&SS/ADGF(FC)/ADGF(Wildlife), MoEF&CC, New Delhi.
10. Guard File.

(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forest (FC)

Handbook of

Forest (Conservation) Act, 1980

and

Forest Conservation Rules, 2003

(Guidelines & Clarifications)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India
2019

Chapter 5

Transfer/Re-diversion

Any forest land diverted for a non-forest use with prior approval of GOI under FCA shall be used by the User Agency for the purpose for which it has been diverted.

However, transfer of user agency for same purpose, or re-diversion for another purpose by same or another user agency may be considered on following basis:

5.1 Transfer of User Agency:

The following procedure shall be followed:

(a) An application from the concerned State/Union Territory Government along with an undertaking from the new user agency shall be submitted.

(b) The undertaking shall state that the new user agency will abide by all conditions on which diversion of forest land was approved in favour of the previous user agency.

(c) Transfer of User Agency can be considered by the Central Government (MoEF&CC) for same use and on same conditions.

(d) The Central Government shall levy a transfer fee, to discourage middle men from processing applications and then selling it to other, @10% of NPV or Rs. 100,000 whichever is less.

(e) The transfer fee will not be applicable to change of UA associated with change in legal heir, and wind power generation projects involving of transfers.

(f) However, in case the transfer is from a Central Government Department/Central Government Undertaking (CPSU) to a User Agency other than Central Government Department /CPSU, the proposal will be examined by the Central Government afresh, and transfer can be agreed to with additional conditions so as to ensure that special concessions given to Central Government Department/CPSU while granting the approval are not extended to the new User Agency.

5.2 Change of the name of UA without any change in shareholding pattern

When change in the name of user agency without any change in its shareholding pattern becomes necessary, permission of the Central Government would be required. The State Govt., shall submit following documents within three months:

(a) no-objection certificate for such change by the State Government.

(b) A certified copy of fresh certificate of incorporation consequent upon change of name issued by the Registrar of Companies

(c) An explanatory statement from the user agency for such change.

Similarly, when change in the name of user agency due to inheritance (change in legal heirs) becomes necessary, permission of the Central Government would be required. For this purpose, the State Government, within three months from the date of issue of legal heir certificate shall submit documents as specified in para (b) and (c) above.

'ANNEXURE-48'

ADITYA BIRLA

CHEMICALS

पत्र संख्या–ए0बी0सी0आई0एल0:

दिनांकः 19.05.2015

श्रीमान् सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः **मेसर्स कानोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रेनुकूट को पम्प हाउस, पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन हेतु लीज पर दी गयी 3.79 हे0 वन भूमि को आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, रेनुकूट के पक्ष में 25 वर्षों हेतु लीज के नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय मे प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को पत्र द्वारा कारखाने को यथावत चालू स्थिति में अधिग्रहण के बारे में दिनांक 11–05–2011 को ही पत्र द्वारा सूचित किया था। दोनों पक्षों द्वारा सहमति एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत कर दिये गये थे (छायाप्रति संलग्नक (i), (ii) एवं (iii) सूचनार्थ संलग्न हैं)।

उपरोक्त वन भूमि का हमारे पक्ष में लीज के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव हमारे द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के कार्यालय में दिनांक 30–03–2012 को जमा करा दिया गया था। (हमारे प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्नक (iv) सूचनार्थ संलग्न है)। प्रभागीय वनाधिकारी ने दिनांक 31–03–2012 को अपनी संस्तुति के साथ हमारा प्रस्ताव वन संरक्षक, मिर्जापुर को भेज दिया गया, जिसकी छायाप्रति संलग्नक (v) सूचनार्थ संलग्न है।

प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति प्राप्त होते ही वन संरक्षक, मिर्जापुर ने हमारे प्रस्ताव को अपनी संस्तुति के साथ मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी को दिनांक 09–04–2012 को प्रेषित कर दिया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी ने उपरोक्त प्रस्ताव को अपनी संस्तुति के साथ आपकी सेवा में दिनांक 09–05–2012 को भेज दिया था। वन संरक्षक, मिर्जापुर के पत्र दिनांक 09–04–2012 तथा नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 09–05–2012 की छायाप्रति संलग्नक (vi) तथा (vii) सूचनार्थ संलग्न है।

ADITYA BIRLA CHEMICALS (INDIA) LIMITED
RENUKOOT CHEMICAL DIVISION
1/115, Vijay Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Ph. / Fax : 0522-2304007 / 08 / 09
Regd. Office : GARHWA ROAD, REHLA : 822 124, DIST. PALAMAU, (JHARKHAND) INDIA

इस सम्बन्ध मे प्रभागीय अधिकारी द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार निर्धारित लीज रेन्ट 2012–13, 2013–14, 2014–15 को समयावधि के भीतर निर्देशानुसार जमा भी कर दिया गया है।

उपरोक्त विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जो भी सूचनाएं मांगी गयी, वह हमारे, प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट तथा नोडल अधिकारी द्वारा समय–समय पर शासन को उपलब्ध करा दी गयी है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त वन भूमि जो लीज पर मेसर्स कानोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रेनुकूट को आपकी अनुमति से मिली थी, का नवीनीकरण मेसर्स आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, रेनुकूट के पक्ष में शीघ्र निष्पादित करने की कृपा करें।

सधन्यवाद,

भवदीय,
मेसर्स आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, रेनुकूट

(अविनाश राय)
महाप्रबन्धक

दिनांक
संलग्नक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि विशेष सचिव (वन), उ०प्र० शासन, लखनऊ – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ADITYA BIRLA CHEMICALS (INDIA) LIMITED
RENUKOOT CHEMICAL DIVISION
1/115, Vijay Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Ph. / Fax : 0522-2304007 / 08 / 09
Regd. Office : GARHWA ROAD, REHLA : 822 124, DIST. PALAMAU, (JHARKHAND) INDIA

Annexure-'52'

ADITYA BIRLA CHEMICALS

पत्र संख्या–ए0बी0सी0आई0एल0: 47

दिनांक: 28.09.2015

सेवा में,

सचिव (वन)
उ0प्र0 शासन, अनुभाग–2
लखनऊ।

विषयः मैसर्स कनौरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, रेनूकूट को पम्प हाउस, पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन हेतु लीज पर दी गयी 3.79 है0 वन भूमि को मैसर्स आदित्य बिरला कैमिकल्स (इण्डिया) लि0, रेनूकूट के पक्ष में 25 वर्षों हेतु लीज के नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय में हमारे पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 19–05–2015 का सन्दर्भ लेने की कृपा करें जिसमें हमने यह निवेदन किया था कि आपके विभाग से सम्बन्धित सभी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त भी शासन से उपरोक्त भूमि के लीज के हस्तांतरित सम्बन्धित आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। पत्र दिनांक 19–05–2015 की छायाप्रति संलग्नक 'अ' सूचनार्थ संलग्न।

उपरोक्त विषय पर आप द्वारा दिनांक 24–07–2015 को यह सूचित किया गया कि वन अधिनियम 1980 के परिपेक्ष्य में उपरोक्त भूमि मैसर्स कनौरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा मैसर्स आदित्य बिरला कैमिकल्स (इण्डिया) लि0 को नहीं बेची जा सकती। जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने आपको सूचित किया 3.79 है0 वन भूमि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या [illegible] दिनांक 25–04–1964 (पत्र दिनांक 25–04–1964 की छायाप्रति संलग्नक 'ब' सूचनार्थ संलग्न) द्वारा मैसर्स कनौरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 को लीज पर दी गई थी। उपरोक्त भूमि [illegible] के कारण मैसर्स आदित्य बिरला कैमिकल्स (इण्डिया) लि0 ने अपने सहमति व मैसर्स कनौरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ लीज के नवीनीकरण व नाम परिवर्तन हेतु नियमानुसार समय से दिनांक 10–05–2011 को सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था।

उपरोक्त विषय में हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि विभाग द्वारा मांगी गयी अन्तिम सूचना का [illegible] अपने पत्र दिनांक 02–12–2014 के माध्यम से वनाधिकारी (दुद्धी) को प्रेषित कर दिया था जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि कम्पनी एज इज वेयर इज बेसिस पर बेची गई है, जो नोडल अधिकारी के माध्यम से शासन को दिनांक 16–12–2014 को भेज दिया गया था। पत्र दिनांक 02–12–2014 की छायाप्रति संलग्नक 'स' सूचनार्थ संलग्न।

यहाँ हम पुनः स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैसर्स कनौरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, रेनूकूट की बिक्री जो एज इज वेयर इज बेसिस पर मैसर्स आदित्य बिरला कैमिकल्स (इण्डिया) लि0, को की गई उसमें उपरोक्त भूमि सम्मिलित नहीं थी क्योंकि उपरोक्त भूमि शासन द्वारा मैसर्स कनौरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, को लीज पर दी गई थी। दोनों कम्पनियों ने वन अधिनियम–1980 के अध्याय–2 के बिन्दु संख्या–2.8 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत बिक्री के पूर्व ही दिनांक 10–05–2011

ADITYA BIRLA CHEMICALS (INDIA) LIMITED
RENUKOOT CHEMICAL DIVISION
1/115, Vijay Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Ph. / Fax : 0522-2304007 / 08 / 09

Regd. Office : GARHWA ROAD, REHLA : 822 124, DIST. PALAMAU, (JHARKHAND) INDIA

ADITYA BIRLA CHEMICALS

को उपरोक्त भूमि के लीज के हस्तांतरण हेतु वनाधिकारी (दुद्धी) को आवेदन प्रेषित कर दिया था जिसकी संस्तुति वनाधिकारी (दुद्धी) ने सम्बन्धित अधिकारी को दिनांक 31–03–2012 को प्रेषित कर दिया जिसे नोडल अधिकारी ने अपनी संस्तुति के साथ शासन को दिनांक 09–05–2012 को भेज दिया (पत्र दिनांक 09–05–2012 की छायाप्रति संलग्नक सूचनार्थ 'द' संलग्न) जो शासन में अभी तक लम्बित है। हम आपको शपथपूर्वक सूचित करना चाहते हैं कि मैसर्स कनौरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 ने उपरोक्त भूमि का हस्तांतरण हमारे पक्ष में नही किया है। भूमि के हस्तांतरण न होने के कारण ही सक्षम अधिकारी के यहाँ आवेदन प्रस्तुत किया गया जो संस्तुति के साथ शासन में लम्बित है।

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि सम्बन्धित अधिकारियों को यह निर्देश देने की कृपा करे जिससे उक्त 379 हे0 भूमि के लीज का हस्तांतरण हमारे पक्ष मे अविलम्ब किया जा सके।

सादर,

भवदीय,
मैसर्स आदित्य बिरला कैमिकल्स (इण्डिया) लि0
(हस्ताक्षर)
(अविनाश राय)
महाप्रबन्धक

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

ADITYA BIRLA CHEMICALS (INDIA) LIMITED
RENUKOOT CHEMICAL DIVISION
1/115, Vijay Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Ph. / Fax : 0522-2304007 / 08 / 09
Regd. Office : GARHWA ROAD, REHLA : 822 124, DIST. PALAMAU, (JHARKHAND) INDIA

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र) ।

पत्रांक– 51 /रेनुकूट/ 15 दिनांक,रेनुकूट,जुलाई– 05, 2016

सेवा में,

सहायक प्रबन्धक
मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि. (केमिकल डिवीजन रेनुकूट)
रेनुकूट–सोनभद्र ।

विषयः– मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट/मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि0/मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा 3.79 है0 वन भूमि के संबंध में वर्ष 1995 से अब तक जमा किये गये लीज रैंट की धनराशि के संबंध में ।

संदर्भः– आपका पत्र संख्या– ग्रासीम ई0लि0रेनुकूट/हार्टि/16–17–2 दिनांक– 01.07.2016

महोदय,

विषयक संदर्भित पत्र के कम में आप द्वारा मॉगी गयी वांछित सूचना निम्न विवरण के अनुसार प्रेषित है :–

वर्ष	लीज रेंट की निर्धारित धनराशि	प्रस्तावक द्वारा जमा की गयी धनराशि का विवरण	
		चेक सख्या व दिनांक	बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक
1995–1996	16847. 00	–	176623 दिनांक–12.04.1996
1996–1997	16847. 00	–	461503 दिनांक–26.04.1997
1997–1998	16847. 00	–	462914 दिनांक–09.07.1997
1998–1999	16847. 00	–	746299 दिनांक–23.04.1998
1999–2000	16847. 00	–	178777 दिनांक–02.08.1999
2000–2001	16847. 00	–	185655 दिनांक–18.04.2000
2001–2002	16847. 00	–	252286 दिनांक–12.04.2001
2002–2003	16847. 00	–	837185 दिनांक–06.04.2002
2003–2004	16847. 00	–	778056 दिनांक–05.04.2003
2004–2005	16847. 00	–	897213 दिनांक–31.03.2004
2005–2006	16847. 00	–	691436 दिनांक–04.04.2005
2006–2007	16847. 00	–	939380 दिनांक–12.04.2006
2007–2008	16847. 00	–	264177 दिनांक–09.03.2007
2008–2009	16847. 00	–	216254 दिनांक–03.04.2008
2009–2010	16847. 00	–	226798 दिनांक–02.04.2009
2010–2011	16847. 00	–	795553 दिनांक–05.04.2010
2011–2012	16847. 00	–	281382 दिनांक–02.04.2011
2012–2013	16847. 00	–	576060 दिनांक–09.04.2012
2013–2014	947500. 00	003498 दिनांक–08.06.2016	–
2014–2015	947500. 00	003498 दिनांक–08.06.2016	–
2015–2016	947500. 00	003498 दिनांक–08.06.2016	–

भवदीय

(तुलसीदास)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

32

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट (सोनभद्र) ।

पत्रांक–[illegible] /रेनुकूट/ 15 दिनांक,रेनुकूट,मई–[illegible] 2016

सेवा में,

अध्यक्ष / यूनिट हेड
मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि.
रेनुकूट–सोनभद्र ।

विषय– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग में, मे. कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को लीज पर हस्तान्तरित वन भूमि का पूर्व में मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि. तथा वर्तमान में मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी हेतु प्रयोग किया जाना ।

सन्दर्भ– कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन, [illegible] एवं अलीगंज लखनऊ द्वारा दिनांक– 13.05.2016 से दिनांक– 20.05.2015 तक किये गये आडिट

महोदय,

आप अवगत है कि रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत [illegible] वन ब्लाक कम्पार्टमेन्ट नम्बर 15 की 3.79 हे0 भूमि मे0 कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को पम्प हाउस पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या– 08बी/09/324/92/एफ.सी.–सी–407, दिनांक– 23.05.1995 एवं इसके क्रम में [illegible] उ0प्र0 शासन का आदेश संख्या– जी.आई. 159/14–2–95–503/1961 दिनांक– 16 जनवरी 1996 द्वारा 25 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी । जिसकी लीज अवधि दिनांक– 31.03.2013 को समाप्त हो चुकी है । दिनांक– 16.04.2011 को मे. कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट एवं मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. के मध्य [illegible] के उपरान्त मे. कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को लीज पर दी गयी उक्त 3.79 हे. वन भूमि का उपयोग [illegible] प्रयोजन हेतु मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट द्वारा करते हुए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव रेनुकूट वन प्रभाग के माध्यम से [illegible] प्रेषित किया गया । प्रेषित प्रस्ताव के शासन में लम्बित रहते हुए मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि. रेनुकूट द्वारा [illegible] उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची के समक्ष कम्पनी पेटिशन संख्या– 5/2015 व 6/2015 दाखिल किया गया । [illegible] पारित आदेश दिनांक– 24.11.2015 के अनुपालन में आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि., मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि. [illegible] चुकी है तथा प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग अब मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट द्वारा किया जा रहा है, किन्तु नवीनीकरण/नियमितीकरण प्रस्ताव आज तक अप्राप्त है । नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु [illegible] [illegible]

यहाँ यह उल्लेख करना है कि कार्यालय महालेखाकार(आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन सेक्टर एच अलीगंज लखनऊ के नामित आडिट अधिकारियों द्वारा दिनांक– 13.05.2016 से 20.05.2016 तक प्रभाग की आडिट सम्पन्न की गयी है । आडिट अधिकारियों द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि लीज अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी [illegible] द्वारा वन भूमि खाली नहीं किया गया है और गैर वानिकी प्रयोग में लायी जा रही है तो उनसे नवीनीकरण के समय जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर के आधार पर प्रीमियम एवं लीज रेंट की धनराशि तथा उस पर ब्याज की धनराशि प्रस्तावक से जमा कराया जाना चाहिए । आपके प्रकरण में निर्धारित धनराशि निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	मद का नाम जिस हेतु धनराशि जमा किया जाना है	दर	वांछित धनराशि
1	नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण (04/2013) के समय जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि की दर (3.79 हे)	रु. 25,00,000 प्रति हे.	94,75,000 (प्रीमियम)
2	प्रीमियम पर निर्धारित ब्याज की धनराशि 03 वर्षों का	9 प्रतिशत	25,58,250 (ब्याज)
3	वर्ष 2013–14 से वर्ष 2015–16 तक निर्धारित लीज रेंट की धनराशि	रु.9,47,500 प्रति वर्ष	28,42,500 (लीज रेंट)
4	वर्ष 2013–15 से 2015–16 तक निर्धारित लीज रेंट की धनराशि पर(Calculated @ of 9% per Annum on the commulative value of applicable lease rent accumulated last ten years)देय ब्याज की धनराशि	9 प्रतिशत	5,11,650 (ब्याज)
5	वर्ष 2016–17 के लीज रेंट की धनराशि	रु. प्रति वर्ष	9,47,500 (लीज रेंट)
6. कुल धनराशि (1+2+3+4+5)			1,63,34,900
7 वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 व 2016–17 हेतु जमा की गयी लीज रेंट की धनराशि			67,388
	कुल देय धनराशि		1,62,67,512

अतः आपसे अनुरोध है कि वांछित धनराशि रु. एक करोड़ बासठ लाख सरसठ हजार पांच सौ बारह मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से बना हो तथा भारतीय स्टेट बैंक राबर्ट्सगंज शाखा पर देय हो, इस कार्यालय में एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि सम्प्रेक्षा द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निस्तारण हो सके, अन्यथा की स्थिति में वांछित धनराशि भू–राजस्व की भाँति वसूल करने हेतु कार्यवाही अमल में लायी जायेगी । उक्त धनराशि नवीनीकरण आदेश से बाधित होगा ।

भवदीय

(तुलसीदास)

ADITYA BIRLA

GRASIM

o/k

8th June, 2016

The Divisional Forest Officer
Renukoot Forest Department
P.O. RENUKOOT – 231 217
Dist. Sonebhadra, U.P.

Subject.: **Lease rent of 3.79 hectare Donglanallah land used for installation of Pump House & Water Pipe Lines**

Dear Sir,

This has reference to your letter No. 3933/Renukoot/15 dated 30/5/2016 demanding payment of Rs.1,62,67,512/- towards premium for lease renewal, lease rent at enhanced rate for the period 2015-16 to 16-17 and interest thereon for late payment.

We are enclosing herewith cheque No.003498 dated 08.06.16 for Rs.1,31,97,612/- and No.003499 dt. 08.06.2016 for Rs. 30,69,900/- drawn on SBI Renukoot towards premium and differential lease rent at enhanced rate for the period from 2013-14 to 2016-17.

In connection with payment of interest, we would like to submit the followings:-

1. We have intimated you vide our letter No ABCIL/40 dated 30.3.2012 (copy enclosed) for sending proposal for transfer of lease of 3.79 hectors in the name of ABCIL after acquisition of Renukoot unit of M/s Kanoria Chemicals & Industries Ltd.. We have submitted our proposal alongwith relevant documents vide our above letter of 30.03.2012. The said proposal was also recommended by your goodself to your higher authority for further necessary action. During this period we have not received any direction from your end for payment of premium for renewal of lease. As we have not defaulted in payment of premium Rs 94,75,000/-, no interest is payable for delay in payment at our end.
2. We have also been paying lease rent every year as per your advise for payment of lease rent for 3.79 hectors. Copy of your advice for last two years is enclosed and amount demanded has also been paid. We paid lease rent vide DD No. 664950 dated 11.4.16 of Rs.16,847/- for the year 2016-17 against your last advise vide your letter No. 3108 /Renukoot / 15 dated 17.3.2016 addressed to Managing Director, Grasim Industries Ltd. Renukoot for payment of lease rent for 3.79 hectors. The copy of acknowledgement of payment of lease rent is enclosed for your kind perusal.

You will appreciate that we are sincerely discharging the liability of annual lease rent regularly as per your advise only. We have always honoured your direction for payment of lease rent etc. and paid all the dues within due dates. Since there is no delay from our end, therefore no penal interest is payable neither on premium nor on lease rent.

However we are making payment interest of Rs.30,69,900/- for the period 13-14 to 15-16 **UNDER PROTEST** as there was no default at our end.

Cont.....(2)

Grasim Industries Limited
Chemical Division Renukoot

Telephone ...

Website www.grasim.com

ADITYA BIRLA

GRASIM

Under this circumstances we request you to kindly waive off the interest as we have never defaulted in payment.

We will highly appreciate an early response from your end.

Thanking you,

Yours faithfully
For Grasim Industries Limited
Chemical Division Renukoot

(H.K. Panda)
Asst. Vice President (Fin &Comml)

Encl.: 1) Cheque No.003498 dated 08.06.16 for Rs.1,31,97,612/-
2) Cheque No.003499 dt. 08.06.2016 for Rs. 30,69,900/-
3) Copy of ABCIL letter No. ABCIL/40 dated 30.3.2012
4) Copy of your advice letter No. 3108/Renukoot/15 dated 17.3.2016
5) Copy of your advice letter No.3691/Renukoot/15 dated 17.03.2015
6) Copy of payment Receipt No. 575134 dated 18/4/2016
7) Copy of your advice letter No. 3521/Renukoot/15 dated 26.3.2014

Copy to: Chief Conservator Forest / Nodal Officer, Lucknow

Chief Conservator Forest, Mirzapur Range, Mirzapur

Recd 08/06/2016

Grasim Industries Limited
Chemical Division Renukoot
P.O.: Renukoot - 231 217,

सर्वोच्च प्राथमिकता

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनूकूट– सोनभद्र ।

पत्रांक 3704 /रेनुकूट/ 15 दिनांक.रेनुकूट.मई– 26, 2016

सेवा मे,

अध्यक्ष/यूनिट हेड
मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0
रेनुकूट–सोनभद्र ।

Mr V.C. Rao
Mr Thomas
pl arrange for payment
31

विषय:– लीज रैंट पर सेवा शुल्क की धनराशि जमा किया जाना ।

संदर्भ:– 1.निदेशालय,सैन्ट्रल एक्साइज इन्टलीजेन्स, क्षेत्रीय यूनिट कानपुर का पत्रांक– डी0जी0सी0ई0आई0/के0आर0यू0/एस0टी0/पै0/60/2015 दिनांक– 30.09.2015

2.कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या– ब. 71/21–5/2015–16 लखनऊ दिनांक– 06.10.2015

3.कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या– ब 250/21–5/2016–17 लखनऊ दिनांक– 12.05.2015

4.कार्यालय महालेखाकार(आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर 'एच' अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या–AG(E&RSA)/ES-I/Audit Intimation/2016-17/64 Dated 09 May 2016

महोदय,

संदर्भित पत्र के माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत लीज पर हस्तान्तरित वन भूमि पर सेवा शुल्क की धनराशि जमा कराने हेतु नियत किया गया है तथा धनराशि के जमा न होने की दशा में आडिट द्वारा आपत्ति की गयी है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्देशों के अनुपालन में पूर्व से निर्धारित लीज रैंट पर निम्न विवरण के अनुसार सेवा शुल्क की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पद नाम भारतीय स्टेट बैंक रार्बटसगंज शाखा पर देय हो . इस कार्यालय मे एक सप्ताह के अन्दर जमा करने का कष्ट करें, ताकि अनुपालन आख्या निदेशालय, सेन्ट्रल एक्साइज इन्टलीजेन्स क्षेत्रीय यूनिट कानपुर, महालेखाकार उ0प्र0 लखनऊ तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ की सेवा मे प्रेषित किया जा सकें ।

क्र सं	लीज होल्डर का नाम	लीज पर हस्तान्तरित वन भूमि का क्षेत्रफल(है.)	वर्ष 2010–11 मे जमा की गयी लीज रैंट की धनराशि	वर्ष 2011–12 मे जमा की गयी लीज रैंट की धनराशि	वर्ष 2012–13 में जमा की गयी लीज रैंट की धनराशि	वर्ष 2013–14 मे जमा की गयी लीज रैंट की धनराशि	वर्ष 2014–15 मे जमा की गयी लीज रैंट की धनराशि	वर्ष 2015–16 मे जमा की गयी लीज रैंट की धनराशि	वर्ष 2016–17 मे जमा की गयी लीज रैंट की धनराशि	कुल सेवा शुल्क की देय धनराशि
1	मै.ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि.	03.79	16847	16847	16847	16847	16847	16847	16847	
		निर्धारित दर	12.36 %	12.36%	12.36%	12.36%	12.36%	14%	15%	
		निर्धारित सेवा शुल्क	2082	2082	2082	2082	2082	2359	2527	15296.00

(रू. पन्द्रह हजार दो सौ छानवे मात्र)

भवदीय

(तुलसीदास)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

114

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

05446–252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 952 /रेनुकूट /15–37 दिनांक, रेनुकूट,सितम्बर, 15, ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 3.79 हे. आरक्षित वन भूमि को पूर्व मे आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि0 तथा वर्तमान में मै0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी उपयोग करने हेतु 25 वर्षो (दिनांक–01.04.2013 से 31.03.2038 तक) की लीज नवीनीकरण के संबंध में । ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– **FP/UP/Others/19811/2016**

संदर्भ:–
1–सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक– पी0–290/81–2–2022–800(67)/2012 लखनऊ दिनांक– 06.09.2022
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 904/11–सी– FP/UP/Others/19811/2016 लखनऊ दिनांक– 08.09.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक– 06.09.2022 में अंकित बिन्दुओ से संबंधित सूचना/अभिलेख निम्नानुसार संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0 सं0	सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक– पी0–290/81–2–2022–800(67)/2012 लखनऊ दिनांक– 06.09.2022 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	दिनांक 09.05.2012 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के विचाराधीन रहते हुए ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/19811/2016 मै0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव क्यों उपलब्ध कराया गया? स्थिति स्पष्ट किया जाय।	इस बिन्दु के अनुपालन में निम्नानुसार अवगत कराना है :– 1– दिनांक–16.04.2011 को मै0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 व मै0 आदित्य बिड़ला कैमिकल्स इण्डिया लि0 के मध्य विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मै0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीजलि0 से संबंधित समस्त सम्पत्ति मै0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि0 को समान प्रयोजन हेतु दे दिया जाय । उक्त निर्णय के उपरान्त श्री एस0एस0गुप्ता, निमित आदित्य बिरला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 ने अपने पत्र दिनांक– 11.05.2001 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग को यह अवगत कराया कि , वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के बिन्दु संख्या– 2.8 में लीज के हस्तान्तरण के परिपेक्ष में , मै0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट

को 3.79 हे. वन भूमि जो लीज के आधार पर दी गयी है उसे मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि0 रेनुकूट केमिकल डिवीजन रेनुकूट को हस्तान्तरित करने हेतु आदेश जारी कराने की कृपा करें"।

2– संस्थान के उक्त पत्र दिनांक– 11.05.2011 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–7011/रेनुकूट/15 दिनांक– 12.05.2011 द्वारा श्री एस0एस0गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक, आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि0 को यह अवगत कराया कि प्रश्नगत प्रकरण में शासन एवं भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बनाकर प्रभागीय कार्यालय मे प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

3– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग के उक्त पत्र दिनांक– 12.05.2011 के क्रम में संस्थान द्वारा 3.79 हे0 वन भूमि मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 रेनुकूट के पक्ष में नवीनीकरण किये जाने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण संबंधित नवीनीकरण प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया जिसे जाँचोपरान्त मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–2301/11–सी–991 दिनांक– 09.05.2012 द्वारा प्रमुख सचिव (वन) उ0प्र0 शासन, वन अनुभाग–2 लखनऊ की सेवा में प्रेषित किया गया।

4– उक्त प्रस्ताव के शासन मे लम्बित रहते हुए मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि. का पंजीकृत कार्यालय रेहला जिला–पलामू (झारखण्ड) होने के कारण कम्पनी द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा–391 से 394 के अन्तर्गत, माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची के समक्ष कम्पनी पेटिशन संख्या–5/2015 व 6/2015 तथा मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 का पंजीकृत कार्यालय नागदा, (मध्य प्रदेश) होने के कारण कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 (इन्दौर बेंच) के समक्ष कम्पनी पेटिशन संख्या– 13/2015 (Amalgamation of M/s Aditya Birla Chemicals(India) Limited with M/s Grasim Industries Limited) दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची द्वारा दिनांक– 24 नवम्बर 2015 को तथा माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 (इन्दौर) द्वारा दिनांक– 09.10.2015 को Amalgamation संबंधी आदेश पारित किया गया। उक्त रिट याचिकाओ मे पारित आदेशो के अनुपालन में आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि., मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि. में समाहित हो गयी तथा प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट द्वारा किया जाने लगा।

5– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक– 210/On Line submission दिनांक– 14.08.2014 द्वारा समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक उ0प्र0 व समस्त मण्डीय मुख्य वन संरक्षक उ0प्र0 को यह अवगत कराया गया कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के नवीन प्रस्तावो को दिनांक– 15.08.2014 से ऑन लाइन किये जाने के निर्देश है, अतः प्रयोक्ता एजेंसी को ऑन लाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करे ताकि प्रयोक्ता एजेंसी ऑन लाइन प्रस्ताव नोडल

		अधिकारी को प्रस्तुत कर सके । उक्त निर्देश की प्रति मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर के माध्यम से प्रभाग को प्राप्त होने एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशो के के उपरान्त मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि0 का विलय मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 मे हो जाने के उपरान्त कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग के पत्र संख्या–2135/रेनुकूट/15 दिनांक– 14.01.2016 द्वारा नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तावक कम्पनी को अवगत कराया गया । उक्त के क्रम में प्रस्तावक कम्पनी द्वारा ऑन लाईन नवीनीरकण प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/19811/2016 अपलोड किया गया जिसे परीक्षणोपरान्त सही पाये जाने पर मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से उ0प्र0 शासन की सेवा में प्रेषित की गयी है ।
2	प्रस्तावित वन भूमि मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट, मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 तथा वर्तमान में मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को कितनी अवधि के लिये दिया गया था? अलग–अलग समयावधि अंकित किया जाय।	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट, मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 तथा वर्तमान में मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को लीज पर दिये जाने संबंधी विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	संस्थान का नाम जिनको लीज पर दी गयी या दिया जाना है	लीज अवधि का विवरण	लीज संबंधी आदेश का विवरण /अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0	01.04.1963 से 31.03.1988 तक (25 वर्ष)	उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1252/14–बी–50 3/61 दिनांक–25.04.1964 द्वारा
		01.04.1988 से 31.03.2013 तक (25 वर्ष)	(1) भारत सरकार के पत्र संख्या–08बी/09/324/92/एफ0सी0–सी0–407 दिनांक–23.05.1995 (2) उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–जी0आई0–159/14–2–95–503/1961 दिनांक– 16 जनवरी 1996 द्वारा नवीनीकरण आदेश जारी किया गया ।
2	मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि0	01.04.2013 से 31.03.2038 तक (25 वर्ष)	मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि0 द्वारा ऑफ

			3	मे0 ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि0	01.04.2013 से 31.03.2038 तक (25 वर्ष)	लाइन प्रस्ताव वर्ष 2012 में प्रस्तुत किया गया किन्तु उसकी अनुमति कतिपय कारणों से नहीं हो पाया । माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रांची व माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 (इन्दौर) द्वारा क्रमशः दिनांक– 24 नवम्बर 2016 व दिनांक– 06.10.2016 को Amalgamation संबंधी पारित आदेशों के अनुपालन में आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि., मे. ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि. में समाहित हो गयी तत्पश्चात प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग मे. ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट द्वारा करते हुए तत्समय प्रचलित ऑन लाइन प्रस्ताव प्रक्रिया के तहत ऑन लाइन प्रस्ताव वर्ष 2018 में प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है ।
3	क्या प्रकरण में हुए उल्लंघन के फलस्वरूप भारत सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 29.01.2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है? मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर के पत्र दिनांक 20.07.2022 के बिन्दु–4 में अंकित है कि भारत सरकार के आदेश दिनांक 29.01.2018 का बिन्दु–बी का प्राविधान आकर्षित नहीं होता है। क्यों?	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक– 29.01.2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है । भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक– 29.01.2018 के पैरा–B एवं C में अंकित विवरण एवं उसका हिन्दी रूपान्तरण निम्नानुसार है :–				

(B)	In cases where the proposal under FC Act is	उन मामलों में जहां एफसी अधिनियम के तहत प्रस्ताव विचाराधीन है और वन भूमि को

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>under consideration and forest land is diverted before grant of FC</td><td>एफसी के अनुदान से पहले बदल दिया गया है</td></tr>
<tr><td>(C)</td><td>Violation/non – compliance of any conditions imposed while granting approval under FC Act .</td><td>एफसी अधिनियम के तहत अनुमोदन प्रदान करते समय लगाई गई किसी भी शर्त का उलंघन/गैर अनुपालन</td></tr>
</table>
2– यहाँ यह उल्लेख करना है कि प्रश्नगत प्रकरण से आच्छादित 3.79 हे0 वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होने के पूर्व उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– 1252/14–बी–503/61 दिनां– 25.04.1964 द्वारा मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 को लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी ।
3– उक्त हस्तान्तरित लीज की अवधि समाप्त होने के उपरान्त आगे की अवधि हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या– 08बी/09/324/92/एफ0सी0–सी0–407 दिनांक– 23.05.1995 द्वारा 5(पाँच) शर्तों के अधीन तथा उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– जी0आई0–159/14–2–95–503/1961 दिनांक– 16 जनवरी 1996 द्वारा 9(नौ) शर्तों के अधीन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होने के उपरान्त नवीनीकरण आदेश जारी किया गया ।
4– प्रश्नगत प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिरोपित किसी भी शर्तों का कोई उल्लंघन नही किया गया है ।
5– उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक– 16.01.1996 में अधिरोपित शर्त संख्या–1 का आंशिक उल्लंघन किया गया है जिस हेतु भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक– 29.01.2018 के बिन्दु संख्या– सी के अनुपालन में एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि का दोगुने धनराशि जमा कराये जाने हेतु वांछित आंकलन प्रमाण पत्र एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है ।
6– यहाँ यह उल्लेख करना है कि प्रश्नगत प्रकरण से आच्छादित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के लागू होने के पूर्व वर्ष 1964 में ही किया गया है तथा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के लागू होने के उपरान्त उसका प्रथम नवीनीकरण किया गया तथा द्वितीय नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर पर संदर्भित किया गया है । नवीनीकरण प्रस्ताव के विचाराधीन रहते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई नव निर्माण कार्य नही किया गया है इस कारण भारत सरकार के आदेश दिनांक– 29.01.2018 के बिन्दु संख्या– बी का प्राविधान आकर्षित नही होता है ।
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>प्रयोक्ता एजेंसी निजी संस्था होने के बावजूद भी पत्र दिनांक 29.07.2022 के बिन्दु–9 मे प्रभावित आरक्षित वनभूमि के</td><td>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत लीज की स्वीकृति उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 1252/14–बी–503/61 दिनांक– 25.04.1964 द्वारा प्रदान की गयी थी जिसमे समतुल्य</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>सापेक्ष दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों की अनुरक्षण व्यवस्था अंकित की गयी है। क्यों?</td><td>गैर वन भूमि की शर्त को अधिरोपित नही किया गया था । उक्त लीज के नवीनीकरण किये जाने के संबंध मे भारत सरकार के पत्र संख्या– 08बी/09/324/92/एफ0सी0–सी0–407 दिनांक– 23.05.1995 व इसके क्रम मे उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– जी0आई0–159/14–2–95–503/1961 दिनांक– 16 जनवरी 1996 द्वारा नवीनीकरण आदेश जारी किया गया । <u>जारी नवीनीकरण आदेश मे अधिरोपित शर्तों के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण से समतुल्य गैर वन भूमि प्राप्त करते हुए उसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति आदेश जारी कराया जा चुका है । उक्त कारणो से प्रश्नगत प्रकरण मे पुनः समतुल्य गैर वन भूमि की मॉग न करते हुए प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों की अनुरक्षण व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है ।</u></td></tr>
<tr><td>5</td><td>प्रस्तावानुसार वर्तमान मे मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग हेतु दिया जाना है, किन्तु प्रकरण के विषय में मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को दिये जाने का उल्लेख है?</td><td>इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण से आच्छादित 3.79 हे0 वन भूमि वर्ष 1964 मे मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को लीज पर दी गयी थी जिसका उपयोग मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि0 द्वारा की जा रही थी तथा वर्तमान में मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा किया जा रहा है । प्रकरण मे विस्तृत विवरण उक्त बिन्दु संख्या– 1 के अनुपालन आख्या में अंकित किया गया है ।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>क्या उक्त प्रस्ताव का परीक्षण भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन दिशा–निर्देशों दिनांक 28.06.2022 के आलोक में परीक्षण किया गया है?</td><td>इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रस्ताव का भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन दिशा–निर्देश दिनांक– 28.06.2022 के आलोक मे परीक्षण किया गया है ।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>दिनांक 03.02.2021 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु–3 के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है, कारण स्पष्ट किया जाये।</td><td>इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता मे दिनांक 03.02.2021 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु–3 के अनुसार ही प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है ।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>शासनादेश दिनांक 16.01.1996 के श संख्या–9 का अनुपालन एवं पट्टा विलेख निष्पादन की प्रति उपलब्ध करायी जाये।</td><td>इस बिन्दु के अनुपालन मे निम्न प्रकार अवगत कराना है :–
1– शासनादेश दिनांक– 16.01.1996 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण से प्रीमियम तथा प्रीमियम का 10 प्रतिशत लीज रेंट जमा कराया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><td>वर्ष</td><td>प्रीमियम एवं लीज रेंट की निर्धारित धनराशि</td><td>जमा का विवरण</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>प्रीमियम</td><td>168462.00 (प्रीमियम)</td><td>चालान संख्या–टी0 3 दि0 29.11.1996</td></tr>
<tr><td>1996–97</td><td>16847.00(लीज रेंट)</td><td>चालान संख्या–टी0 1 दि0 15.05.1997</td></tr>
<tr><td>1997–98</td><td>16847.00(लीज रेंट)</td><td>चालान संख्या–टी0 3 दि0 15.07.1997</td></tr>
<tr><td>1998–99</td><td>16847.00(लीज रेंट)</td><td>चालान संख्या– टी0 6 दि0 29.05.1998</td></tr>
<tr><td>1999–00</td><td>16847.00(लीज रेंट)</td><td>चालान संख्या– टी0 3 दि0 14.08.1999</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		2000–01	16847.00(लीज रेट)	चालान संख्या– टी0 4 दि0 05.05.2000
		2001–02	16847.00(लीज रेट)	चालान संख्या– टी0 5 दि0 24.04.2001
		2002–03	16847.00(लीज रेट)	चालान संख्या–टी0 5 दि0 17.04.2003
		2003–04	16847.00(लीज रेट)	चालान संख्या– टी0 5 दि0 17.04.2003
		2004–05	16847.00(लीज रेट)	चालान संख्या– टी0 3 दि0 16.04.2004
		2005–06	16847.00(लीज रेट)	चालान संख्या– टी0 2 दि0 13.04.2005
		2006–07	16847.00(लीज रेट)	चालान संख्या– टी0 12 दि0 30.05.2006
		2007–08	16847.00(लीज रेट)	चालान संख्या– टी0 4 दि0 31.05.2007
		2008–09	16847.00(लीज रेट)	चालान संख्या– टी0 7 दि0 23.04.2008
		2009–10	16847.00(लीज रेट)	चालान संख्या– टी0 5 दि0 28.04.2009
		2010–11	16847.00(लीज रेट)	चालान संख्या– टी0 6 दि0 17.04.2010
		2011–12	16847.00(लीज रेट)	चालान संख्या– आर0ओ0 40004 दि0 25.04.2011
		2012–13	16847.00(लीज रेट)	चालान संख्या– आर0ओ0 40001 दि0 05.07.2012
		प्रीमियम	9475000.00 (प्रीमियम)	चालान संख्या– आर0 060001 दि0 27.06.2016
		2013–14	16847.00(लीज रेट) 930653.00(लीज रेट)	चालान संख्या– आर0ओ0 40003 दि0 09.04.13 व चालान संख्या– आर0 060001 दि0 27.06.2016
		2014–15	16847.00(लीज रेट) 930653.00(लीज रेट)	चालान संख्या– आर0ओ0 40017 दि0 22.04.14 व चालान संख्या– आर0 060001 दि0 27.06.2016
		2015–16	16847.00(लीज रेट) 930653.00(लीज रेट)	चालान संख्या– आर0ओ0 40009 दि0 24.04.15 व चालान संख्या– आर0 060001 दि0 27.06.2016
		2016–17	16847.00(लीज रेट) 930653.00(लीज रेट)	चालान संख्या– आर0ओ0 40009 दि0 18.04.16 व चालान संख्या– आर0 060001 दि0 27.06.2016
		2017–18	947500.00(लीज रेट)	चालान संख्या– आर0 040002 दि0 26.04.2017
		2018–19	947500.00(लीज रेट)	चालान संख्या–आर0 ओ0 40037 दि0 27.04.2018

		2019–20	947500.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– ई0 964270 दि0 16.05.2019
		2020–21	947500.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– एच0 ए0 00026 दि0 10.08.2021
		2021–22	947500.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– एच0 ए0 00027 दि0 10.08.2021
		2022–23	947500.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– डी0आई0 00029 दि0 18.04.2022
		2– प्रश्नगत प्रकरण में लीज संबंधी जारी मूल आदेश दिनांक–25.04.1964 के अनुपालन मे सम्पादित पट्टाविलेख दिनांक–09.06.1970 की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।		

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र

संख्या– 952 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि : श्री विकास माहेश्वरी , प्रमुख (वित्त एवं लेखा), मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को उनके पत्र दिनांक– 14.09.2022 के क्रम मे सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट (सोनभद्र) ।

पत्रांक: 3026 / रेनुकूट / 15–37 दिनांक,रेनुकूट,मार्च, 13, 2023

सेवा में,

यूनिट हेड
मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि.
रेनुकूट–सोनभद्र ।

विषय:– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत लीज पर हस्तान्तरित वन भूमि का वर्ष 2023–24 के लीज रेंट की धनराशि उपलब्ध कराया जाना ।

संदर्भ:– उ.प्र.शासन का आदेश संख्या–जी.आई.159 / 14–2–95–503 / 1961 लखनऊ दिनांक–16.01.1996

महोदय,

संदर्भित आदेश द्वारा मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को 03.79 हे. वन भूमि 25 वर्षो के लीज पर पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु हस्तान्तरित की गयी है । उक्त हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा करते हुए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधान एवं उ0प्र0 शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुपालन मे नवीनीकण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान मे उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

अतः राजस्व लक्ष्यो की पूर्ति करने हेतु उक्त वन भूमि का निम्नानुसार लीज रेंट की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट एवं जी0एस0टी0 / सी0एस0टी0 की धनराशि निर्धारित रजिस्ट्रेशन संख्या पर जमा कराते हुए उससे संबंधित चालान / स्लिप की प्रति अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह मे उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

क्रम संख्या	हस्तान्तरित वन भूमि (हे0मे)	वर्ष 2023–24 हेतु निर्धारित लीज रेंट की धनराशि (रू0मे)	निर्धारित लीज रेंट की धनराशि का बैंक ड्रापट जिसके नाम से उपलब्ध कराया जाना है उसका नाम एवं बैंक का नाम तथा जिस शाखा पर देय हो उस शाखा का नाम ।
1	2	3	4
1	3.79	9,47,500.00 (मु0 नौ लाख सैतालिस हजार पॉच सौ मात्र)	प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट, भारतीय स्टेट बैंक, राबर्टसगंज शाखा ,

2– उक्त के अतिरिक्त लीज रेंट की धनराशि पर वर्तमान मे निर्धारित जी0एस0टी0 एवं सी0एस0टी0 की धनराशि निम्न कोड पर जमा कराते हुए उससे संबंधित चालान / स्लिप की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करे :–

सी0जी0एस0टी एवं एस0जी0एस0टी की कुल धनराशि जिस रजिस्ट्रेशन संख्या पर जमा किया जाना है उसका नम्बर, नाम एवं पता	Divisional Forest Officer 09AAAGD0351E2ZY Renukoot Forest Office Near Maszid Renukoot

उक्त धनराशि उच्च स्तर से प्राप्त होने वाले नवीनीकरण आदेश / अन्य कोई भी आदेशो से बाधित रहेगा ।

भवदीय

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

ADITYA BIRLA

GRASIM

पत्रांक/जी0आई0एल0/22-23/

दिनांक-03.04.2023

सेवा में,

श्रीमान् प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट, सोनभद्र।

विषयः- आपका पत्रांक संख्या 3026 दिनांक 13/03/2023 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीस लिमिटेड को 3.7980 वन भूमि 25 वर्षों के लीज पर पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतू हस्तानातरित की गई है। उपरोक्त वन भूमि का उपयोग ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। जिसका नवीनीकरण प्रस्ताव 3000 शासन स्तर पर विचाराधीन है। उपरोक्त संदर्भ में वर्ष 2023-24 हेतू लीज रेट की मांग की गई है जो रूपया 947500.00 डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 285701 दिनांक 29.03.2023 भारतीय स्टेट बैंक, रेनुकूट द्वारा निर्गत आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। जी0एस0टी0 भुगतान का चालान माह अप्रैल के जी0एस0टी0 भुगतान के उपरांत आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः श्रीमान् से विनम्र प्रार्थना है कि जमा ड्राफ्ट की प्राप्ति रसीद दिलवाए जाने की कृपा की जाय।

सधन्यवाद,

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय

ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

राजीव दुबे

प्रमुख (मानव संसाधन)

Grasim Industries Limited
Chemical Division Renukoot
P.O. Renukoot 231 217
Distt. Sonebhadra (U.P.) India

Telephone +91 5446 252044/53/75
Fax +91 5446 252089

Website www.grasim.com
E-mail grasim.renukoot@adityabirla.com

सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

05446–257020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 12[illegible] /रेनुकूट /15–37 दिनांक, रेनुकूट,अक्टूबर, 03 , ,2019

सेवा में,

श्री एस0एन0शास्त्री
इकाई प्रमुख
मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0
रेनुकूट, सोनभद्र।

विषय– [illegible] एवं इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को लीज पर हस्तान्तरित 3.79 हे. वन भूमि को पूर्व में [illegible] (इण्डिया) लि. तथा वर्तमान में , मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि.रेनुकूट द्वारा गैर [illegible] किया जाना ।

संदर्भ–
1– [illegible] संख्या– 2175/रेनुकूट/15–37 दिनांक– 31.01.2017
2– [illegible] संख्या– 2638/रेनुकूट/15–37 दिनांक– 20.02.2017
3– [illegible] संख्या– [illegible]/रेनुकूट/15–37 दिनांक– 13.04.2017
4– [illegible] संख्या– 3479/रेनुकूट/15–37 दिनांक– 05.05.2017
5– [illegible] संख्या– 203/रेनुकूट/15–37 दिनांक– 17.07.2017
6– [illegible] संख्या– 699/रेनुकूट/15–37 दिनांक– 29.08.2017
7– [illegible] संख्या– 1256/रेनुकूट/15–37 दिनांक– 11.10.2017
8– [illegible] संख्या– 3064/रेनुकूट/15–37 दिनांक– 24.02.2018
9– [illegible] संख्या– 3257/रेनुकूट/15–37 दिनांक– 14.03.2019
10– [illegible] संख्या– [illegible]/रेनुकूट/15–37 दिनांक– 20.06.2019
11– [illegible] संख्या– [illegible]/रेनुकूट/15–37 दिनांक– 19.07.2019
12– [illegible] संख्या– 375/रेनुकूट/15–37 दिनांक– 27.07.2019
13– [illegible] ग्रासीम/2019–20 /01 दिनांक– 02.08.2019
14– [illegible] प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण–पत्र दिनांक–18.09.2019

महोदय,

[illegible] प्रकरण में सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा [illegible] इस [illegible] में उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था जो कि आज तक [illegible] दिनांक– 15.10.2019 तक उपलब्ध कराने हेतु आप द्वारा वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

[illegible] है कि भारतीय [illegible] परीक्षा और लेखा विभाग [illegible] कार्यालय महालेखाकार ([illegible] परीक्षा) उ०प्र० [illegible] भवन टी०सी० 35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती [illegible] वनाधिकारी [illegible] अप्रैल 2016 से जनवरी 2019 तक की अवधि के [illegible] भाग-II ए [illegible] पर आधारित आगामी वर्ष के भारत के [illegible]-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु ड्राफ्ट प्रस्तर प्रस्तावित है जिसका विषय "undue favour to user agency by not taking action on unauthorized use of forest land for non-forestry purpose Rs 2.02 crore" है जिसका Statement of Fact की छाया प्रति संलग्न इस कार्यालय के [illegible] दिनांक- 27.07.2019 [illegible] प्रेषित की गयी थी ।

3- भारतीय [illegible] और लेखा विभाग [illegible] महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ०प्र० [illegible] - 15-वी-1, [illegible] खण्ड, गोमती नगर लखनऊ के निर्देशानुसार Rs. 2.02 crore [illegible] ई-चालान द्वारा जमा कराते हुए चालान की मूल प्रति दिनांक- 05.08.2019 [illegible] कार्यालय में उपलब्ध [illegible] हेतु इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक- 27.07.2019 द्वारा आपसे अनुरोध [illegible] ।

4- इस कार्यालय [illegible] संदर्भित पत्र दिनांक [illegible] के क्रम में आपने अपने संदर्भित पत्र दिनांक-02.08.2019 [illegible] करते हुए [illegible] दिनांक- 15.10.2019 तक उपलब्ध कराने एवं [illegible] निर्धारित एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने हेतु [illegible] ।

5- आपके द्वारा [illegible] अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरान्त उच्च स्तर से उक्त एन०पी०वी० की धनराशि एवं [illegible] धनराशि रू० 2.02 करोड़ की बैंक गारन्टी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित धनराशि रू० 2.02 करोड़ को जमा करने के सम्बन्ध में बैंक गारन्टी तीन दिनों के अन्दर इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि ऑडिट का संशोधित उत्तर उच्च स्तर पर प्रेषित किया [illegible] की स्थिति में [illegible] द्वारा संबंधित वन भूमि से आपकी संस्थान को बेदखल करने हेतु समुचित [illegible] कार्यवाही [illegible] हेतु आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा ।

भवदीय

(एम०पी०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या- [illegible]

प्रतिलिपि [illegible] को -

1- मुख्य वन संरक्षक [illegible] मिर्जापुर को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2- उप प्रभागीय [illegible] एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी [illegible] को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप संस्थान के [illegible] मै० [illegible] लि० रेनुकूट-सोनभद्र से सम्पर्क स्थापित कर 3 दिन के अन्दर बैंक गारन्टी [illegible] अन्यथा की स्थिति में विषयगत वन भूमि से संस्थान को बेदखल करने [illegible] सुनिश्चित करें ।

(एम०पी०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

195

HDFC BANK

We understand your world

HDFC BANK LTD
Plot No 154/2-A, First Floor,
Varanasi Trade Center
Sharda Estate,
Maqbool Alam Road,
Khajuri, Varanasi - 221002.

Date______________

Form Serial No. GTEE/ 542936

To,
DIVISIONAL FOREST OFFICER
PENUKOOT

16-OCT-2019

OUR REFERENCE	:	240GT01192890007
DATE OF ISSUE	:	16-OCT-2019
APPLICANT	:	GRASIM INDUSTRIES LTD
GUARANTEE AMOUNT	:	INR 20,200,000.00
AMOUNT IN WORDS	:	RUPEES TWENTY MILLION TWO HUNDRED THOUSAND ONLY
EXPIRY DATE	:	14-JAN-2020
EXPIRY PLACE	:	MUMBAI
CLAIM DATE	:	14-JAN-2021

DEAR SIR,

PLEASE FIND ENCLOSED THE CAPTIONED GUARANTEE DULY ISSUED BY US.

THIS GUARANTEE ATTACHED IS TO BE RETURNED TO US WITHIN 15 DAYS FROM THE DATE IT CEASES TO BE IN FORCE OR AS SOON AS THE PURPOSE FOR WHICH IT HAS BEEN ISSUED IS FULFILLED ,WHICHEVER IS EARLIER.

WE CONFIRM THAT THE SIGNATORIES WHO HAVE SIGNED THE SUBJECT GUARANTEE / EXTENSION AS STATED BELOW HAVE THE REQUISITE POWERS TO SIGN ON BEHALF OF THE BANK.

1. Mr./Ms. SHASHWAT OM
   Designation SENIOR MANAGER
   P.A NO. C6019(WBO/1/NOV-2015/1762)
2. Mr./Ms. NIKESH KUMAR
   Designation MANAGER
   P.A NO. B15087(WBO/1/NOV-2015/1203)

FURTHER CONFIRMATION OF THIS GUARANTEE IF DESIRED, SHOULD BE OBTAINED FROM THE ABOVE MENTIONED BRANCH.

THIS LETTER FORMS AN INTEGRAL PART OF THE GUARANTEE.

FOR HDFC BANK LTD

....
AUTHORISED SIGNATORY/S

G

250

Annexure-17

कार्यालय नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, उ0प्र0 लखनऊ।
पत्र संख्या /11डी-70 (नोडल) (मिर्जापुर) लखनऊ: दिनांक / ,2000

सेवा में,

श्री [illegible],
उप सचिव,
वन अनुभाग-2,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 को पट्टे पर दी गई वन भूमि के सम्बन्ध में पट्टाविलेख का निष्पादन किया जाना।

सन्दर्भ:- शासनादेश संख्या 4031/14-2-99-503/961 दि0 3-8-99

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा वांछित सूचना बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

(1) शासनादेश संख्या पी0 आई0 159/14-2-95-503/1961 दिनांक 16-1-1996 के अनुसार पट्टाविलेख में लीज अवधि 25 वर्ष अंकित कर दी गई है।

(2) पट्टेदार से [illegible] [illegible] [illegible] पट्टाविलेख के पृष्ठ संख्या-2 पर किया गया है तथा वर्ष 2000-2001 का [illegible] भी [illegible] द्वारा जमा कर दिया गया है।

(3) वन भूमि का मानचित्र विवरण सहित संलग्न है।

अतः पट्टाविलेख तथा वन भूमि का मानचित्र की प्रतियाँ में निर्धारित शुल्क की चालान की मूल प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

भवदीय,

(डी0सी0 [illegible])
नोडल अधिकारी,
वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, उ0प्र0 लखनऊ।

संलग्नक:- पट्टाविलेख (दो प्रति)
मानचित्र (दो प्रति)
मूल चालान की प्रति

पत्र संख्या 6006 /11 डी/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

(1) वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मिर्जापुर।
(2) प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट सोनभद्र।
(3) अध्यक्ष, मै0 कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट।

(डी0सी0 [illegible])
नोडल अधिकारी,
वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, उ0प्र0 लखनऊ।

दिनांक/31-5-2000

पट्टाविलेख

यह पट्टा सन्-------------------के-------------------------
मास के-------------------------दिन तदनुसार शक सम्वत्--------------
के---------------------मास के------------------दिन को उ०प्र० के राज्यपाल, जिनको यहाँ आगे चलकर " पट्टादाता " कहा गया है प्रथम पक्ष तथा अध्यक्ष, कानोरिया केमिकल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, रेनूकूट, जिला- सोनभद्र (उ०प्र०) (जिसे आगे चलकर " पट्टेदार " कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य में किया गया है ।

चूंकि पट्टेदार को मै० कानोरिया केमिकल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, रेनूकूट, सोनभद्र (उ०प्र०) को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रांसमीशन लाइन हेतु ३.७६ हे० वन भूमि की आवश्यकता है और पट्टेदार ने उक्त वन भूमि जिसका विवरण इससे संलग्न अनुसूची में दिया हुआ है और जो स्पष्टीकरण के लिये इस अभिलेख में संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से दर्शायी गयी है पट्टे पर दिये जाने हेतु पट्टादाता से अनुरोध किया है ।

और चूंकि पट्टादाता उक्त वन भूमि को पट्टेदार के नाम एतद् पश्चात अभिव्यक्त अधिकारों, निबंधों एवं प्रतिबंधों के अधीन पट्टे पर हस्तान्तरित करने के लिये सहमत हुए है ।

और चूंकि भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या-८ बी/०६/२२४/६२ एफ०सी०पी०-४०० दिनांक २२/०५/१९९५ तथा उ०प्र० सरकार बी०आर०सी०-१५६/१४/०२/६५-५०/१९९१ दिनांक १९/०१/१९९६ ------------द्वारा जिला-सोनभद्र के रेनूकूट वन प्रभाग में पिपरी रेंज पूर्वी कम्पार्टमेन्ट नं० १२ में पम्प-हाउस, पाइप लाइन, ओवर हेड ट्रांसमीशन लाइन हेतु उक्त वन भूमि मेसर्स कानोरिया केमिकल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज के फारेस्ट (कन्जर्वेशन) एक्ट १९८० की धारा (२) दो के अधीन पट्टे पर हस्तांतरण करने की अनुमति दे दी है । और चूंकि श्री----------------------------को पट्टादाता द्वारा उनके एवज में पट्टाविलेख को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है ।

अतः उत्तर प्रदेश में वनों प्रकृति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित गवर्नमेन्ट्स ग्रान्ट्स एक्ट (संख्या-१५) १८९५ के अधीन निष्पादित

----------२

वन क्षेत्राधिकारी
पिपरी - सोनभद्र

(J.S. Agarwal)
President (W)
Kanoria Chemicals & Industries Ltd.

20

यह निर्देश जारी है कि रु० १,६८,४६२-०० (एक लाख अड़सठ हजार चार सौ बासठ) प्रीमियम एवं रु० ६९,३००-०० (उनहत्तर हजार तीन सौ) गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति हेतु तथा आगे आरक्षित वार्षिक लीज रेन्ट के प्रतिफल स्वरूप और पट्टेदार द्वारा की गई प्रसंविदाओं को ध्यान में रखकर पट्टादाता एतद् द्वारा वह सब भूखण्ड उसकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इससे सम्बद्ध अनुसूची में दिया हुआ है। पट्टेदार को उक्त प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश शासन शासनादेश की तिथि से माह के प्रथम दिन से २५ (पच्चीस) वर्षों की अवधि तक हस्तान्तरित करते हैं इस आधिपत्य के उपलक्ष्य में उक्त अवधि के पट्टेदार समस्त कटौतियों को छोड़कर रु० १,६८,४६२-०० (एक लाख अड़सठ हजार चार सौ बासठ) का १० प्रतिशत (१०) वार्षिक की दर से रु० १६,८४६-२० (सोलह हजार आठ सौ छियालिस रुपया बीस पैसा) प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन अथवा इससे पूर्व रेंज आफिस, पिपरी अथवा ऐसे दूसरे स्थान पर जिसे प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट इस प्रयोजन हेतु समय-समय पर नियत करें भुगतान करेगा। रु० १,६८,४६२-०० (एक लाख अड़सठ हजार चार सौ बासठ) प्रीमियम ड्राफ्ट संख्या-टी०ए०बी०(ए०) ८-६०४११ दिनांक २१।११।९९ रु० ६९,३००-०० (उनहत्तर हजार तीन सौ) ड्राफ्ट संख्या ४५८२८७ दिनांक १०।०८।९४ क्षति पूर्ति वृक्षारोपण हेतु तथा १९८८-८९ से १९९५-९६ तक का वार्षिक लीज रु० १,२४,७६९-६० (एक लाख चौबीस हजार सात सौ उनहत्तर रुपया साठ पैसा) ड्राफ्ट संख्या १७९६२३ दिनांक ११।०४।९६ को जमा कर दिया है। जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतद्द्वारा स्वीकार करता है।

और पट्टेदार, पट्टादाता से प्रसंविदा करता है कि

१-- वह उक्त अवधि में एतद्द्वारा निर्मित वार्षिक किराये के ऊपर नियत दिन पर एवं रीति से भुगतान करेगा।

२-- वह ऐसी प्रत्येक प्रकार की दरों, करों, परिव्ययों व निर्धारणों का भुगतान करेगा जो कि उक्त भूखण्ड अथवा उस पर किये गये परिरक्षण शर्तों पर इस समय अथवा इसके पश्चात् पट्टा अवधि के अन्तर्गत किसी समय अवधारित अथवा आरोपित किये जायें।

३-- वह उक्त भूमि का उपयोग केवल शासनादेश में निहित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

वन क्षेत्राधिकारी
पिपरी - सोनभद्र

(J.P. Agrawal)
Kanoria Chemicals & Industries Ltd.
(U.P.)

४-- पट्टेदार के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनके सम्बन्धित व्यक्ति उस वन सम्पदा को जो इस पट्टे द्वारा हस्तान्तरित भूमि पर मौजूद है तथा जो पट्टेदार द्वारा इस पट्टे में निहित कार्य को सम्पादित करने तथा फलस्वरूप उक्त कार्य का सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के उपरांत शेष बची हो, क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचाती है अथवा पहुंचाई जाती है तो उसके लिए प्रभागीय वनाधिकारी नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होंगे तथा प्रभागीय वनाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा पट्टेदार को बाध्यकारी होगा।

५-- उक्त भूमि पट्टेदार के उपयोग में तब तक बनी रहेगी जब कि पट्टेदार को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि पट्टेदार को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो पट्टेदार के लिए आवश्यक न रहे वन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को बिना किसी प्रतिकार के भुगतान के वापस हो जायेगा।

६-- पट्टेदार द्वारा उन्हीं स्थानों पर पम्प हाउस पावर हाउस, ओवर हैड ट्रांसमीशन लाइन हस्तान्तरित भू-क्षेत्र में ही बिछाई जायेगी।

७-- इस पट्टेदार की अवधि समाप्त होने पर अथवा उसके पहले ही पट्टा समाप्त कर दिये जाने पर पट्टेदार उक्त भूखण्ड का अधिपत्य पट्टादाता को बिना किसी प्रकार के प्रतिकार के बिल्कुल अच्छी अवस्था में देगा। (साधारण उपयोग में होने वाली युक्तियुक्त टूट फूट और क्षति को छोड़कर)।

८-- पट्टादाता तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(२) और पट्टादाता पट्टेदार से प्रसंविदा करता है कि :--

१-- अगर पट्टेदार ने इस पट्टे की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है तो पट्टादाता पट्टेदार की प्रार्थना पर इस पट्टे की उक्त अवधि के समाप्त होने पर, और उसके पश्चात् समय-समय पर प्रत्येक ऐसी अवधि

------४

वन क्षेत्राधिकारी
पिपरी - सोनभद्र

(J.P. Agarwal)
President (W)
Kanoria Chemicals [illegible] Industries Ltd.
[illegible]

के समाप्त होने पर जो स्वीकार की जाय पट्टेदार के नाम उक्त भूखण्ड का नया पट्टा नवीनीकरण के रूप में पचीस वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित करेगा, परन्तु यह प्रतिबंध सदा ही रहेगा कि इस प्रकार नवीकृत अवधियां इस पट्टे की मूल अवधि सहित कुल मिलाकर पट्टे की अवधि नब्बे वर्ष से अधिक न होगी और उक्त भूखण्ड के प्रत्येक नवीकृत पट्टे में इस विलेख की केवल उन्हीं प्रसंविदाओं, उपबन्धों का समावेश है जो इस समय लागू होंगे किन्तु प्रतिबंध यह भी है कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसी सब दरों, करों या अन्य परिव्ययों का भुगतान करेगा जो हस्तान्तरित भूखण्ड के सम्बन्ध में पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय है अथवा भविष्य में कानूनन देय होंगे।

२-(१)- कि पट्टेदार द्वारा एतद्‌द्वारा रक्षित वार्षिक लीज रेन्ट की अदायगी तथा एतद्‌द्वारा रक्षित प्रसंविदा के पालन के प्रतिफलस्वरूप उक्त वन भूमि का पट्टेदार उक्त अवधि के लिए शान्ति पूर्वक दखल रख सकेगा और पट्टादाता या उसके द्वारा अथवा अधीन विधि पूर्वक दावा करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जायेगी तथा शान्ति भंग भी नहीं की जायेगी और पट्टेदार को एतद्‌द्वारा अन्तरित वन भूमि के पूर्ण या अंश के उपयोग तथा दखल से वंचित होना पड़े तो पट्टादाता पट्टेदार से उतना ही वार्षिक लीज रेंट वसूल करेगा जो अनुपातिक या युक्तायुक्त होगा।

(२)- पट्टेदार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी नागरिक सुविधाओं जैसे-चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल आदि उसी प्रकार वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों व उनके आश्रितों को उपलब्ध करायेगी जिस प्रकार अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराती है।

३-- और इस विलेख के दोनों पक्ष यह करार करते है कि :--

(क)- उक्त भूमि हस्तान्तरण के बाद भी आरक्षित वन भूमि की श्रेणी एवं उसके वर्तमान वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ख)- इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या उसके विषय पर यदि कोई भी विवाद मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उनके किसी दावेदार

--------५

वन क्षेत्राधिकारी
पिपरी - सोनभद्र

(J. S. K. ...)
... Ltd.
...

के बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह पंच निर्णय के लिए [illegible] मुख्य वन संरक्षक को भेजा जायेगा और इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

४--पट्टादाता को यह अधिकार होगा कि इस विलेख के अधीन देय समस्त धनराशि को सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रमाण-पत्र पर जो अन्तिम निश्चायक तथा पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा भू-राजस्व के बकाया के रूप में पट्टेदार से वसूल कर ले।

५--इस अनुबन्ध के सम्बन्ध में देय स्टेम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन व्यय पट्टेदार वहन करेगा।

६--इसमें पूर्व प्रयुक्त शब्द "पट्टादाता" और "पट्टेदार" के सम्बन्ध में जब तक उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो "पट्टादाता" की दशा में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों तथा पट्टेदार की दशा में उसके उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव है।

इस विलेख के साक्ष्य में पट्टादाता की ओर से उनके द्वारा प्राधिकृत एवं उनके पक्ष में, [illegible], उ० प्र० शासन [illegible] ने तथा पट्टेदार की ओर से उनके द्वारा प्राधिकृत------------------------------------ ने उनके हस्ताक्षरों के नीचे लिखित------------------------------------ को हस्ताक्षर कर दिये हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी
रेणुकूट वन प्रभाग
रेणुकूट, सोनभद्र

1998
([illegible])
पिपरी - सोनभद्र

(J. S. [illegible] Agarwal)
President (W)
[illegible] Ltd.
[illegible]

Annexure-'B'

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र) ।

पत्रांक- 2517 /रेनुकूट/ 15 -35 दिनांक, रेनुकूट, मार्च- 10 2010

सेवा में,

अध्यक्ष

मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.
रेनुकूट-सोनभद्र ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु 3.79 हे. वन भूमि का 25 वर्षो हेतु लीज का नवीनीकरण ।

संदर्भ:- कार्यालय नोडल अधिकारी/वन संरक्षक वन उपयोग वृत्त उ.प्र. लखनऊ का पत्र संख्या-6005/11 सी-70 दिनांक-01.06.2000

महोदय,

विषयक संदर्भित पत्र जो उप सचिव वन अनुभाग-2 उ.प्र. शासन लखनऊ को सम्बोधित है तथा अधोहस्ताक्षरी व आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पट्टाविलेख को अनुमोदित करने हेतु प्रेषित किये गये है ।

उक्त पट्टाविलेख का अनुमोदन अभी तक प्राप्त होकर इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हो पाया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त पट्टाविलेख का अनुमोदन शासन से कराते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध करायें ताकि शासनादेश का अनुपालन हो हो सके ।

भवदीय

(आशीष तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र

Form 1-

Annexure 'q'

...RIA CHEMICALS & INDUSTRIES LIMITED

KCI
1-115, Vijay Khand
Gomti Nagar
Lucknow 226010
Tel : 0522-2304007-09
Telefax : 0522-2304009
Email : kcilucknow@kanoriachem.com
Website : www.kanoriachem.com

KCI/LKO/33/147
Dt. 6.7.2010

Principal Secretary,
Department of Forest,
(Van Anubhag- 2)
Govt. of U.P.
Bapu Bhawan
Lucknow (U.P)

Sub: Agreement for transfer of 3.79 Hectare Land for Dongianala pump house.

Dear Sir,

This is to inform you that after your kind approval / order no. 1961 dt. 16th Jan'1996 and instructions given therein an agreement was signed between M/s Kanoria Chemicals and Divisional Forest officer for Patta Abhilekh which was forwarded to your department by Nodal officer vide his letter no. 6005 dt. 27th May'2000 for its approval. **Copy of letter is being enclosed for your ready reference.**

In view of abnormal delay in the matter, you are kindly requested to use your good offices for immediate approval of the agreement so that the agreement is finally signed in regard to Patta Abhilekh.

Kindly treat the matter urgent and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **KANORIA CHEMICALS & IND. LTD.**

(Avinash Rai)
General Manager

Encl:-a/a.

CC: Special Secretary
Department of Forest
(Van Anubhag-2)
Govt. of U.P.
Lucknow

with similar request.

26

Annexure-'10'

KANORIA CHEMICALS & INDUSTRIES LIMITED

RENUKOOT CHEMICAL WORKS DIVISION
P.O. Renukoot-231 217 Distt. Sonebhadra (U.P.) India
Tel: 05446-252044, 252044, 252075 Fax: 05446-252088
E-mail: [illegible]@kanoriachem.com

[illegible] 10 [illegible]

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर क्षेत्र,
गोरखपुर (उ० प्र०) ।

विषय: [illegible] संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत [illegible] विलेख का निष्पादन कराया जाना ।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक -7055/गोरखपुर/15 दिनांक गोरखपुर 21.06.10

महोदय,

[illegible] 2020 [illegible] 159 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

कृते कानोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

(अशोक कुमार [illegible])
अध्यक्ष [illegible]

07 जुलाई, 2010

प्रतिलिपि: [illegible]

Annexure-'II'

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चित्रकूट वन प्रभाग चित्रकूट(कर्वी)।

पत्रांक /चित्रकूट/15-3[illegible] दिनांक [illegible] सितम्बर, 2010

Annexure '12'

KANORIA CHEMICALS & INDUSTRIES LIMITED

KCI
1-135 Vijay Khand
Gomti Nagar
Lucknow 226010
Tel 0522 2304007-06
Telefax 0522 2304009

KCI/LKO/33/32
Dt 27.4.11

Secretary,
Department of Forest,
(Van Anubhag-2)
Govt. of U.P.
Bapu Bhawan
Lucknow (U.P.)

<u>Sub: Approval of Pattashilekh in regard to renewal of earlier lease of 3.79 Hectare Land.</u>

Dear Sir,

This is to inform you that after your kind approval vide your letter no. 1961 dt. 16th Jan'1996 (**Copy of letter enclosed as annexure 'A'**) and instructions given therein an agreement was signed between M/s Kanoria Chemicals and Divisional Forest officer for Pattashilekh which was forwarded to your department by Nodal officer vide his letter no. 6005 dt. 27th May'2000 with relevant documents for approval (**Copy of letter enclosed as annexure 'B'**).

We are sorry to inform you that the issue is still pending in your department for the last 10 years and we are getting repeated reminders from your local authorities to get the Pattashilekh approved without any further delay. Further, Divisional Forest Officer Renukoot has also written a letter on 30th Dec'10 to Nodal officer (under copy to us) requesting to pursue the subject from his end so that Pattashilekh is approved at the earliest (**Copy of letter enclosed as annexure 'C'**).

In view of abnormal delay in the matter, you are requested to use your good offices so that approval of Pattashilekh is immediately issued for doing the needful at local level in Renukoot.

Kindly treat the matter urgent and oblige.

Thanking you.

Yours faithfully,
For KANORIA CHEMICALS & IND. LTD.

(Akhilesh Rai)
General Manager

Encl: a/a

C.C. Special Secretary
Department of Forest
(Van Anubhag-2)
Govt. of U.P.
Lucknow

with similar request.

35

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– /रेनुकूट /15–37 दिनांक, रेनुकूट, दिसम्बर, 25-12- ,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– **जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 3.79 हे. आरक्षित वन भूमि को पूर्व में आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि0 तथा वर्तमान में मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी उपयोग करने हेतु 25 वर्षो (दिनांक–01.04.2013 से 31.03.2038 तक) की लीज नवीनीकरण के संबंध में । (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/19811/2016)**

संदर्भः–
1–उप सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्र संख्या–569/81–2–2023–800(67)/2012 दिनांक–12.09.2023
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–683/11–सी– **FP/UP/Others/19811/2016)** लखनऊ दिनांक– 12.09.2023
3–उत्तर प्रदेश मे मे0 आदित्य बिला ग्रुप द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओ को निष्पादित /पूरा करने मे आ रही समस्याओ के समाधान के सम्बन्ध मे अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता मे दिनांक– 12.09.2023 को अपरान्हत 12.00 बजे आयोजित बैठक के कार्यवृत्त संबंधी पत्र संख्या–3742/81–2–2023–800(26)/2017 टी0सी0 दिनांक– 18.10.2023
4–उप सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्र संख्या–3980/81–2–2023–800(26)/2017 दिनांक–30.11.2023
5–अनुसचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्र संख्या–4129/81–2–2023–800(67)/2012 दिनांक–20.12.2023
6– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1538/11–सी– **FP/UP/Others/19811/2016** लखनऊ दिनांक– 21.12.2023

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करे । संदर्भित पत्रो द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे विधि सम्मत प्रस्ताव प्रभाग मे उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग के पत्र संख्या– 942/रेनुकूट/15–37 दिनांक– 14.09.2023, पत्र संख्या– 1851/रेनुकूट/15–37 दिनांक– 28.11.2023 तथा पत्र संख्या–1917/रेनुकूट/15–37 दिनांक– 04.12.2023 द्वारा यूनिट हेड, मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट–सोनभद्र से अनुरोध किया गया । उक्त के क्रम मे यूनिट हेड, मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट –सोनभद्र ने अपने पत्र दिनांक– 19.12.2023. द्वारा आवश्यक अभिलेखो सहित आख्या प्रभाग मे उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति एवं प्रभाग की आख्या निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्ण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट–सोनभद्र को उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1252/14–वी–503/61 दिनांक– 25.04.1964 द्वारा 3.79 हे0 वन भूमि पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं

ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु 25 वर्षों के लीज पर दिनांक– 01.04.1963 से 31.03.1988 तक हस्तान्तरित की गयी ।

(2) उक्त लीज की अवधि समाप्त होने के उपरान्त भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या– 08बी / 09 / 324 / 92 / एफ0सी0 / 407 दिनांक– 23.05.1995 द्वारा 5(पाँच) शर्तों के अधीन तथा अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग–2 लखनऊ के आदेश संख्या– जी0आई0 154 / 14-2-95-578 / 1961 लखनऊ दिनांक– 15 जनवरी 1996 द्वारा 9(नौ) शर्तों के अधीन 25 वर्षों हेतु दिनांक–01.04.1988 से 31.03.2013 तक के लिए नवीनीकरण किया गया । नवीनीकरण के संबंध में भारत सरकार / उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी आदेशों में अधिरोपित शर्तों का विवरण निम्नानुसार है :–

भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या– 08बी / 09 / 324 / 92 / एफ0सी0 / 407 दिनांक– 23. 05.1995 मे अधिरोपित शर्तों का विवरण ।	अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग–2 लखनऊ के आदेश संख्या–जी0आई0 154 / 14-2-95-578 / 1961 लखनऊ दिनांक– 15 जनवरी 1996 मे अधिरोपित शर्तों का विवरण ।
1– वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।	1– उक्त संस्था भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।
2– लीज की अवधि 31.3.2013 तक होगी ।	2– संस्था के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर जो अन्तिम निश्चायक तथा उक्त संस्था पर बाध्यकारी होगा, संस्था द्वारा देय होगा ।
3– वन भूमि का प्रयोग सिर्फ उपरोक्त प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य किसी कार्य हेतु नहीं । यदि यह पाया गया कि वन भूमि का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजनप हेतु किया जा रहा है तो स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी एवं वन भूम वन विभाग को वापस हो जायेगी ।	3– उक्त भूमि संस्था के उपयोग में तब तक बनी रहेगी , जब तक कि संस्था को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी । यदि संस्था को उक्त भूमि अथवा उसके किसि भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो संस्था के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगी ।
4–वन विभाग द्वारा याचक विभाग के व्यय पर समतुल्य गैरवानिकी भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किया जायेगा ।	4– वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

5–उक्त गैर वानिकी भूमि को संरक्षित वन धोषित किया जायेगा ।	5– कथित भूमि लीज के नवीनीकरा के बाद भी आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी तथा उसके वर्तमान वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही होगा ।
	6– याचक इकाई के व्यय पर समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण करवाया जायेगा एवं भूमि हस्तान्तरण के पूर्व चिन्हित गैर वन भूमि को संरक्षित वन धोषित करना होगा ।
	7–वन क्षेत्र मे परियोजना मे कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईधन की आवश्यकता के लिए वनो को हानि न पहुॅचायें , इसके लिए उक्त संस्था ईधन की लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध करायेगी या ईधन की लकड़ी की कीमत उनके वेतन या मजदूरी मे से काट ली जायेगी ।
	8– वन भूमि पर खड़े वृक्षो का निस्तारण यदि कोई , हो तो उ0प्र0 वन निगम द्वारा करवाया जायेगा । यदि किसी कारणवश संस्था को खड़े वृक्ष सौंपे जाते है , तो उसका सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य पर भुगतान उक्त संस्था से प्रापत किया जायेगा ।
	9– वन भूमि हस्तान्तरण के पूर्व भूमि का मूल्य वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी सोनभद्र से निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम तथा प्रीमियम का 10 प्रतिशत लीज रेंट वन विभाग द्वारा वसूल कर लिया जायेगा ।

भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो के अनुपालन मे संस्थान द्वारा नियमानुसार वांछित धनराशि प्रभाग मे स–समय जमा किया गया ।

(3) दिनांक– 16.04.2011 को मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट एवं मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट केमिकल डिवीजन रेनुकूट के मध्य विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि, "मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट से संबंधित समस्त सम्पत्ति मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट केमिकल्स डिवीजन रेनुकूट को चालू हालत में उसी प्रयोजन हेतु दे दिया जाय" ।

(4) संस्थान द्वारा दिनांक– 16.04.2011 को लिये गये उक्त निर्णय के क्रम मे , मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत 3.79 हे0 वन भूमि का समान प्रयोजन हेतु उपयोग करते हुए प्रबन्ध निदेशक, आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 रेनुकूट ने अपने पत्र संख्या– ए0बी0सी0आई0एल0/40 दिनांक– 30.03.2012 द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण संबंधी नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या– 2301/11–सी–991 दिनांक– 09 मई 2012 द्वारा प्रमुख सचिव (वन) उ0प्र0 शासन, वन अनुभाग–2, लखनऊ को प्रेषित किया गया ।

(5) उक्त नवीनीकरण प्रस्ताव के विचाराधीन रहते हुए मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल इण्डिया लि0 रेनुकूट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची के समक्ष कम्पनी पेटिशन संख्या– 5/2015 व 6/2015 तथा माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 (इन्दौर बेंच) के समक्ष 13/2015 (Amalgamation of M/s Aditya Birla Chemicals(India) Limited with M/s Grasim Industries Limited) दाखिल किया गया "। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची द्वारा दिनांक– 24 नवम्बर 2015 को तथा माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 (इन्दौर बेंच) द्वारा दिनांक– 09.10.2015 को Amalgamation संबंधी आदेश पारित किया गया । उक्त आदेशो के अनुपालन में प्रश्नगत 3.79 हे0 वन भूमि का उपयोग समान प्रयोजन हेतु मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट किया जाने लगा ।

(6) मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत वन भूमि 3.79 हे0 का उपयोग समान प्रयोजन हेतु करते हुए नवीन प्रकिया के तहत भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन प्रस्ताव सं0–FP/UP/OTHERS/19811/2016 अपलोड किया गया । उक्त प्रस्ताव मे प्रभावित 3.79 हे0 वन भूमि का नवीनीकरण एवं मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को सेल डीड के आधार पर 1962 मे हस्तान्तरित हस्तान्तरित 325 एकड़ वन भूमि के प्रकरण के निस्तारण के संबंध में विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक– 03.02.2021 को बैठक आहुत की गयी । उक्त आहुत बैठक के कार्यवृत्त दिनांक– 03.02.2021 के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 की (गाईड लाइन एवं क्लीरिफिकेशन) के चैप्टर– 5 के प्रस्तर–5.2 एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक– 29.01.2019 के अनुसार प्रकरण का परीक्षण कर Ex-Post Facto के अन्तर्गत प्रस्ताव उचित माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किया गया ।

(7) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी उक्त कार्यवृत्त दिनांक– 03.02.2021 के क्रम मे मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा 3.79 हे0 वन भूमि का ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/OTHERS/19811/2016 Ex-Post Facto के अन्तर्गत अपने पत्र दिनांक– 18.04.2022 द्वारा प्रभाग मे उपलब्ध कराया गया । उक्त प्रस्ताव को प्रभाग एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जवलायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया । मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या– 399/11–सी– FP/UP/OTHERS/19811/2016 लखनऊ दिनांक– 29 जुलाई 2022 द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्रेषित किया गया ।

(8) प्रश्नगत प्रकरण मे **अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग–2 लखनऊ के आदेश संख्या–जी0आई0 159/14–2–95–503/1961 लखनऊ दिनांक– 16 जनवरी 1996 मे अधिरोपित शर्त संख्या– 1 मे यह अंकित है कि** "उक्त संस्था भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियो को हस्तान्तरित नही करेगा" ।

यहॉं यह उल्लेख करना है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा शर्त संख्या–1 मे अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग कथित प्रयोजन ही मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा किया जा रहा है, किन्तु मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा हस्तान्तरण से पूर्व कोई अनुमति प्राप्त नही की गयी जो उक्त शर्त का आंशिक उल्लंघन होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या– 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक– 29.01.2018 द्वारा जारी निर्देशो के अनुपालन मे पैनल एन0पी0वी0 05(पॉच) गुना का आंकलन करते हुए आकलन प्रमाण पत्र /वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित कर ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–

FP/UP/OTHERS/19811/2016 मे अपलोड कराते हुए उच्च स्तर के माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित की गयी है ।

(9) इस प्रकार प्रकरण प्रश्नगत प्रकरण मे उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार उपरोक्तानुसार विधि सम्मत प्रस्ताव संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर उच्च स्तर के माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जा चुकी है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण मे उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक– 03.02.2021 को दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे उपरोक्तानुसार प्रेषित प्रस्ताव की स्वीकृति वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 मे उल्लिखित प्राविधानो के तहत भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार के स्तर से प्रदान किये जाने के संबंध मे अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करे ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार 4 प्रतियो मे ।

भवदीय

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– 2233 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ की सेवा मे उनके संदर्भित पत्र दिनांक– 12.09.2023 एवं दिनांक– 21.12.2023 के क्रम मे ।

2– यूनिट हेड, मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को उनके पत्र दिनांक– 19.12.2023 के क्रम मे सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध मे उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट